

# राजकोषीय घटनाक्रम तथा लोक वित्त

## 3

### अध्याय

राजकोषीय घाटे के वर्ष 2009-10 में सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) के 6.5 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2010-11 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.8 प्रतिशत रह जाने से तीव्र राजकोषीय समेकन हुआ। वर्ष 2011-12 के बजट में सकल घरेलू उत्पाद के और कम हो कर 4.6 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था जिसकी प्राप्ति कर राजस्व में 16 प्रतिशत की वृद्धि, 40,000 करोड़ रुपये की विनिवेश प्राप्तियों तथा व्यय वृद्धि को संतुलित कर 4.9 प्रतिशत करने के माध्यम से की जानी है। वर्तमान राजकोषीय वर्ष में आर्थिक घटनाक्रम बजट निरूपण के समय यथा परिकल्पित किए गए घटनाक्रमों से कहीं भिन्नता से घटित हुए हैं। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, विशेषतया उद्योग के क्षेत्र में, तीव्र गिरावट तथा प्रमुख वस्तुओं में कीमतों के सतत उच्च स्तरों के कारण बजट अनुमानों के समय परिकल्पित घाटा लक्ष्यों से विचलन होने की संभावना है। तथापि, समग्र अर्थों में, राज्यों का निष्पादन बेहतर होने से केन्द्र तथा राज्यों का संयुक्त घाटा ठोसाधारित प्रतीत होता है जो मध्यमावधि वृहद् आर्थिक संभावनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए शुभ है। मध्यमावधि स्थिति सुदृढ़ता से समेकन के पथ पर अग्रसर है यद्यपि समय सीमा के अर्थ में इसमें अधिक समय लगने की संभावना है।

3.2 वृहद् आर्थिक माहौल वर्ष 2008-09 से दबावाधीन है जब वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट उभरा था जिसके परिणामस्वरूप नीतियों का तीव्र अंशांकन आवश्यक हो गया था। तदनंतर वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में हुए राजकोषीय विस्तार के परिणामस्वरूप वर्ष 2009-10 में तीव्र सुधार के रूप में वृहद् आर्थिक लाभांश हासिल हुए जो वर्ष 2010-11 में संवृद्धि के उसी 8.4 प्रतिशत के स्तर पर स्थिर हो गए। आर्थिक समीक्षा 2010-11 में सारगर्भित रूप से भारत में राजकोषीय घाटे के प्रबल संरचनात्मक स्वरूप को निर्दिष्ट किया गया था तथा मध्यमावधि संवृद्धि की संभावनाओं को समर्थित करने के लिए सतत एवं स्थायी राजकोषीय समेकन की आवश्यकता को रेखांकित किया गया था। इस स्वरूप को देखते हुए, वर्ष 2010-11 के बजट द्वारा यथा परिकल्पित वर्ष 2010-11 में राजकोषीय समेकन की बहाली समुचित तथा पर्याप्त महत्वाकांक्षी थी। वर्ष 2010-11 के परिणाम प्रमुखतः अभिहित सकल घरेलू उत्पाद में अनुमान से अधिक संवृद्धि तथा कर-भिन्न राजस्वों के अर्थ में महत्वपूर्ण लाभों तथा प्रत्याशा से उच्चतर कर राजस्वों के कारण इससे अधिक रहे। चालू वित्त वर्ष उच्चतर कर प्रतिदायों के निहितार्थ यह है कि पिछले वर्ष की संवृद्धि का अतिकथन किया गया था। वर्ष 2010-11 में बजट व्यवस्था किए गए कर भिन्न राजस्व से उच्चतर राजस्व का अनुदानों की पूरक

मांगों में उच्चतर व्यय द्वारा विनियोजन किया गया। अतः बेहतर राजकोषीय परिणाम (स.घ.उ. के अनुपात के रूप में) का महत्वपूर्ण भाग वर्ष 2010-11 में उच्चतर अभिहित स.घ.उ. के कारण था।

3.3 वर्ष 2011-12 के बजट के निरूपण के समय वृहद्-आर्थिक स्थिति सकारात्मक प्रतीत हो रही थी यद्यपि औद्योगिक मंदी के बारे में कुछ चिंता विद्यमान थी। तथापि, मुद्रास्फीतिकारी दबावों की निरंतरता तथा उसके परिणामस्वरूप मांग की मंदी का लोक वित्त पर प्रभाव पड़ा तथा बढ़ती कीमतों ने लाभ की गुंजायशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और इस प्रकार कारपोरेट आयकर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में संवृद्धि के स्तर प्रभावित हुए। वैश्विक वस्तुओं की कीमतों के उच्च रहते तथा घरेलू कीमत निर्धारण में निर्धारित सीमित नम्यता के कारण राजस्व तथा राजकोषीय, दोनों प्रकार के घाटे के स्तरों के लिए निहितार्थों के साथ व्यय में कुछ वर्धन हुए हैं। कर प्रतिदायों के अर्थ में उच्चतर व्यय, कर भिन्न राजस्वों के अपेक्षाकृत निम्न स्तरों तथा इक्विटी बाजार की स्थिति ने, जो चालू राजकोषीय वर्ष के प्रथम नौ महीनों में आयोजनाबद्ध विनिवेश की प्राप्ति के लिए असमुचित थी, चालू राजकोषीय वर्ष में बजट में व्यवस्था किए गए राजस्वों की प्राप्ति को एक चुनौती बना दिया है। इसके साथ ही, कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें

## 46 आर्थिक समीक्षा 2011-12

(भारतीय संस्थिति में) प्रथम नौ महीनों में औसतन 110.1 अमरीकी डालर/बी बी एल थी जो बजट निरूपण के समय यथा अनुमानित से काफी उच्चतर थीं। इस तथ्य के साथ मिलकर कि ईंधन की कीमतों के सीमित पास थ्रू होने पर भी शीर्ष रेखा मुद्रास्फीति उच्च रही है, इनके आर्थिक सहायता के उच्चतर स्तरों के लिए निहितार्थ रहे हैं। जबकि व्यय आधिक्य को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, यह संभावित है कि घाटा परिकलनों में अतिरिक्त व्यय को शामिल करना होगा।

3.4 वर्ष 2011-12 के बजट में राजस्व प्राप्तियों में 4385 करोड़ रुपए की मामूली गिरावट होने का अनुमान लगाया गया था। ये राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2010-11 की तुलना में 7,89,892 करोड़ रुपए होनी अनुमानित थी। यह मानते हुए कि वर्ष 2010-11 में काफी उछाल के पश्चात् कर-भिन्न राजस्वों में कमी आनी अवश्यभावी थी, राजस्व प्राप्तियां मुख्यतः सकल कर राजस्वों द्वारा चालित होनी थीं जिनके 9,32,440 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था। यह भी परिकल्पित किया गया था कि व्यय में संवृद्धि 4.9 प्रतिशत पर सीमित की जाएगी तथा तदनुसार कुल व्यय 12,57,729 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, वर्ष 2011-12 में राजस्व घाटा कम करके 3.4 प्रतिशत तथा राजकोषीय घाटा कम करके 4.6 प्रतिशत पर लाया जाना था (सारणी 3.1 तथा चित्र 3.1)। अभिहित सकल घरेलू उत्पाद में 13.7 प्रतिशत की दीर्घावधिक औसत वार्षिक संवृद्धि (1991-92 तथा 2007-08 के बीच) की तुलना में वर्ष 2008-09 से संवृद्धि अधिक उत्प्लावक रही है जिसने अभिहित सकल घरेलू उत्पादों के अनुपातों के रूप में अभिव्यक्त किए जाने पर राजकोषीय सकलों को प्रभावित किया। उदाहरणार्थ, वर्ष 2010-11 में राजकोषीय घाटे में सुधार का महत्वपूर्ण भाग अभिहित सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तनों के कारण था (सारणी 3.1क)। हालांकि निरपेक्ष अर्थ में अनंतिम राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के आसपास ही था, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में उसमें तीव्र गिरावट आई थी।

### वर्ष 2011-12 में बजटीय घटनाक्रम

3.5 वर्ष 2011-12 के बजट के प्रस्तुतीकरण में परिणामी वृहद् आर्थिक पृष्ठभूमि काफी आशाजनक थी तथा आर्थिक समीक्षा में

### सारणी 3.1 : केन्द्र सरकार के घाटे की प्रवृत्तियां

वर्ष	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा
	(सघउ के प्रतिशत के रूप में)			
2003-04	3.6	4.5	0.0	79.7
2004-05	2.4	3.9	0.0	62.3
2005-06	2.5	4.0	0.4	63.0
2006-07	1.9	3.3	-0.2	56.3
2007-08	1.1	2.5	-0.9	41.4
2008-09	4.5	6.0	2.6	75.2
2009-10	5.2	6.5	3.2	81.0
2010-11(अनंतिम)	3.2	4.8	1.8	66.3
2011-12(ब.अ.)	3.4	4.6	1.6	74.4

स्रोत : केन्द्रीय बजट दस्तावेज और महा लेखा नियंत्रक

ब.अ. : बजट अनुमान

अनंतिम: अनंतिम वास्तविक आंकड़े (अलेखापरीक्षित)


टिप्पणियां : चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के प्रति अनुपात केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन की राष्ट्रीय लेखा 2004-05 शृंखला पर आधारित है।

9 +/- 0.25 प्रतिशत के अनुमान के साथ उच्च संवृद्धि पथ की ओर वापसी निर्दिष्ट की गई थी। त्रैमासिक सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के अर्थ में, संवृद्धि अभी भी अधिक सशक्त थी यद्यपि वर्ष 2010-11 की द्वितीय तिमाही में कुछ हास हुआ था। जनवरी 2011 में मुद्रास्फीति 9 प्रतिशत से अधिक थी तथा मौद्रिक नीति तंगी की प्रास्थिति में थी; मूल मुद्रास्फीति संतुलित थी तथा हालांकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई आई पी) के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में संवृद्धि वर्ष 2010-11 की प्रथम दो तिमाहियों में उत्प्लावक थी, नवम्बर 2010 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सशक्त गिरावट हुई जिसे किसी दीर्घावधिक समस्या के बजाए एक टोकर के रूप में अवलोकित किया गया; तथा बचत और निवेश आंकड़ों ने अपने पूर्व-संकट मार्गपथ पर प्रतिवर्तित होने का आश्वासन दिया। इस पृष्ठभूमि में, वर्ष 2011-12 के बजट में राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया को जारी रखा जाना निर्दिष्ट हुआ तथा वर्ष 2011-12 में

### सारणी 3.1 (क) : सघउ में परिवर्तन के कारण घाटे की प्रवृत्तियां

	2010-11 (ब.अ.) बजट 2010-11 (अनुमान)	2010-11 (अ.अ.) अग्रिम (अनुमान)	2010-11 (सं.अ.) संशोधित (अनुमान)	2010-11 (त्व.अ.) त्वरित (अनुमान)
सघउ (सी एम पी) (करोड़ रु०)	6934700	7877947	7875627	7674148
अभिहित सघउ संवृद्धि (प्रतिशत)	12.5	20.3	20.2	17.2
	<b>2010-11(ब.अ.)</b>	<b>2010-11(सं.अ.)</b>	<b>2010-11(अनंतिम)</b>	<b>2010-11(अनंतिम)</b>
राजकोषीय घाटा (करोड़ रुपए)	381408	400998	369043	369043
सघउ के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	<b>5.5</b>	<b>5.1</b>	<b>4.7</b>	<b>4.8</b>

**चित्र 3.1** केन्द्र सरकार के घाटे की प्रवृत्तियां




राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफ आर बी एम) अधिनियम में संशोधन की पुरःस्थापना करने की योजना की घोषणा करके अगले चरण के लिए राजकोषीय मार्ग की रूपरेखा निर्धारित की गई।

3.6 राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया को कायम रखने में सरकारी व्यय के प्रभावी प्रबंधन की महत्ता की ओर संकेत करते हुए, वर्ष 2011-12 के बजट में इस संबंध में पहलें निर्दिष्ट की गई थी जिनमें सरकारी व्यय के दक्ष प्रबंधन संबंधी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन, यूरिया के लिए पोषाहार-आधारित आर्थिक सहायता व्यवस्था विस्तारित करने का सरकार का इरादा तथा आर्थिक सहायता के सीधे अंतरण की ओर संचलन किया जाना शामिल है। सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों में कम से कम 51 प्रतिशत स्वामित्व तथा प्रबंधन नियंत्रण प्रतिधारित करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वर्ष 2011-12 के बजट में 40,000 करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस स्थिति के मद्देनजर तथा तत्समय अनुमानित (संशोधित अनुमान) 5.1 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के स्तर की तुलना में वर्ष 2011-12 के बजट में राजकोषीय घाटा 4.6 प्रतिशत अनुमानित किया गया (सारणी 3.2 तथा चित्र 3.2 तथा 3.3)।

3.7 एफ आर बी एम अधिनियम 2003 का प्रमुख उद्देश्य राजकोषीय प्रबंधन में अंतर पीढ़ीगत इक्विटी सुनिश्चित करना था तथा इस प्रयोजनार्थ, एक विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर राजस्व अधिशेष सृजित किए जाने थे। आशय यह था कि उधारों एवं राजस्व अधिशेषों को पूंजी व्यय में सरणीकृत किया जा सके जो उधारों को केवल पूंजी व्यय के लिए प्रयुक्त करने के “स्वर्णिम नियम” सिद्धांत के समनुरूप आस्तियों के सृजन में परिणामी हों। यह देखते हुए कि ऐसे भारी अंतर-सरकारी अंतरण किए गए थे जो लेखाकरण के अर्थ में विशिष्ट रूप से राजस्व व्यय के रूप में श्रेणीकृत किए जा सकते थे, वर्ष 2011-12 के केन्द्रीय बजट में, पूंजी स्वरूप के व्यय के लिए समायोजन करने के पश्चात् राजस्व खाते में वास्तविक घाटे का सुनिश्चय करने के लिए “प्रभावी राजकोषीय घाटा नामक एक नए राजकोषीय संकेतक की शुरुआत की गई थी। अतः पीढ़ियों में इक्विटी के लिए “समायोजित” या “प्रभावी” राजस्व घाटा ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 2011-12 के लिए प्रभावी राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3.4 प्रतिशत के राजस्व घाटा अनुमान की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का 1.8 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है।

**चित्र 3.2** केन्द्र सरकार की प्राप्तियां तथा व्यय



## सारणी 3.2 : केन्द्र सरकार की प्राप्तियाँ और व्यय

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10*	2010-11 (ब.अ.)	2010-11 (अंतिम)	2011-12 (ब.अ.)
	(करोड़ ₹)						
<b>1 राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख)</b>	<b>434387</b>	<b>541864</b>	<b>540259</b>	<b>572811</b>	<b>682212</b>	<b>794277</b>	<b>789892</b>
(क) कर राजस्व (राज्यों का हिस्सा घटकर निवल)	351182	439547	443319	456536	534094	572790	664457
(ख) कर-भिन्न राजस्व	83205	102317	96940	116275	148118	221487	125435
<b>2 राजस्व व्यय</b>	<b>514609</b>	<b>594433</b>	<b>793798</b>	<b>911809</b>	<b>958724</b>	<b>1039130</b>	<b>1097162</b>
जिसमें से निम्नलिखित पर हुआ व्यय							
(क) ब्याज अदायगियाँ	150272	171030	192204	213093	248664	234738	267986
(ख) मुख्य सविसडी	53495	67498	123581	135508	109092	131212	134411
(ग) रक्षा व्यय	51682	54219	73305	90669	87344	92386	95216
<b>3 राजस्व घाटा (2-1)</b>	<b>80222</b>	<b>52569</b>	<b>253539</b>	<b>338998</b>	<b>276512</b>	<b>244853</b>	<b>307270</b>
<b>4 पूंजीगत प्राप्तियाँ</b>	<b>149000</b>	<b>170807</b>	<b>343697</b>	<b>451676</b>	<b>426537</b>	<b>404642</b>	<b>467837</b>
जिसमें से निम्नलिखित से हुई प्राप्तियाँ							
(क) ऋणों की वसूली*	5893	5100	6139	8613	5129	12752	15020
(ख) अन्य प्राप्तियाँ (मुख्यतया सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश)	534	38795	566	24581	40000	22847	40000
(ग) उधार और अन्य देयताएं <sup>5</sup>	142573	126912	336992	418482	381408	369043	412817
<b>5 पूंजीगत व्यय</b>	<b>68778</b>	<b>118238</b>	<b>90158</b>	<b>112678</b>	<b>150025</b>	<b>159789</b>	<b>160567</b>
<b>6 कुल व्यय [2+5=6(क)+6(ख)]</b>	<b>583387</b>	<b>712671</b>	<b>883956</b>	<b>1024487</b>	<b>1108749</b>	<b>1198919</b>	<b>1257729</b>
जिसमें से निम्नलिखित पर हुआ व्यय							
(क) आयोजनागत व्यय	169860	205082	275235	303391	373092	377350	441547
(ख) आयोजना-भिन्न व्यय	413527	507589	608721	721096	735657	821569	816182
<b>7 राजकोषीय घाटा [6-1-4(क)-4(ख)]</b>	<b>142573</b>	<b>126912</b>	<b>336992</b>	<b>418482</b>	<b>381408</b>	<b>369043</b>	<b>412817</b>
<b>8 प्राथमिक घाटा [7-2(क)]</b>	<b>-7699</b>	<b>-44118</b>	<b>144788</b>	<b>205389</b>	<b>132744</b>	<b>134305</b>	<b>144831</b>
	(सघट के प्रतिशत के रूप में)						
<b>1 राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख)</b>	<b>10.1</b>	<b>10.9</b>	<b>9.6</b>	<b>8.9</b>	<b>9.8</b>	<b>10.4</b>	<b>8.9</b>
(क) कर राजस्व (राज्यों का हिस्सा घटकर निवल)	8.2	8.8	7.9	7.1	7.7	7.5	7.5
(ख) कर-भिन्न राजस्व	1.9	2.1	1.7	1.8	2.1	2.9	1.4
<b>2 राजस्व व्यय</b>	<b>12.0</b>	<b>11.9</b>	<b>14.1</b>	<b>14.1</b>	<b>13.8</b>	<b>13.5</b>	<b>12.3</b>
जिसमें से निम्नलिखित पर हुआ व्यय							
(क) ब्याज अदायगियाँ	3.5	3.4	3.4	3.3	3.6	3.1	3.0
(ख) मुख्य सविसडी	1.2	1.4	2.2	2.1	1.6	1.7	1.5
(ग) रक्षा व्यय	1.2	1.1	1.3	1.4	1.3	1.2	1.1
<b>3 राजस्व घाटा (2-1)</b>	<b>1.9</b>	<b>1.1</b>	<b>4.5</b>	<b>5.2</b>	<b>4.0</b>	<b>3.2</b>	<b>3.4</b>
<b>4 पूंजीगत प्राप्तियाँ</b>	<b>3.5</b>	<b>3.4</b>	<b>6.1</b>	<b>7.0</b>	<b>6.2</b>	<b>5.3</b>	<b>5.2</b>
जिसमें से निम्नलिखित से हुई प्राप्तियाँ							
(क) ऋणों की वसूली*	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
(ख) अन्य प्राप्तियाँ (मुख्यतया सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश)	0.0	0.8	0.0	0.4	0.6	0.3	0.4
(ग) उधार और अन्य देयताएं <sup>5</sup>	3.3	2.5	6.0	6.5	5.5	4.8	4.6
<b>5 पूंजीगत व्यय</b>	<b>1.6</b>	<b>2.4</b>	<b>1.6</b>	<b>1.7</b>	<b>2.2</b>	<b>2.1</b>	<b>1.8</b>
<b>6 कुल व्यय [2+5=6(क)+6(ख)]</b>	<b>13.6</b>	<b>14.3</b>	<b>15.7</b>	<b>15.9</b>	<b>16.0</b>	<b>15.6</b>	<b>14.1</b>
जिसमें से निम्नलिखित पर हुआ व्यय							
(क) आयोजनागत व्यय	4.0	4.1	4.9	4.7	5.4	4.9	5.0
(ख) आयोजना-भिन्न व्यय	9.6	10.2	10.8	11.2	10.6	10.7	9.2
<b>7 राजकोषीय घाटा [6-1-4(क)-4(ख)]</b>	<b>3.3</b>	<b>2.5</b>	<b>6.0</b>	<b>6.5</b>	<b>5.5</b>	<b>4.8</b>	<b>4.6</b>
<b>8 प्राथमिक घाटा [7-2(क)]</b>	<b>-0.2</b>	<b>-0.9</b>	<b>2.6</b>	<b>3.2</b>	<b>1.9</b>	<b>1.8</b>	<b>1.6</b>
<b>ज्ञापन मर्दे</b>	(₹ करोड़)						
(क) ब्याज प्राप्तियाँ	22,524	21,060	20,717	21,756	19,253	22,064	19,578
(ख) आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय	372,191	420,861	559,024	657,925	643,599	726,767	733,558

स्रोत : केन्द्रीय बजट दस्तावेज और महालेखा नियंत्रक

ब.अ. : बजट अनुमान अंतिम : अंतिम वास्तविक;


\* वर्ष 2009-10 के लिए अंतिम वास्तविक आंकड़ों पर आधारित।

<sup>5</sup> इसमें बाजार स्थिरीकरण योजना से संबंधित प्राप्तियाँ शामिल नहीं हैं जो केन्द्र सरकार के नकद शेष में रहेंगी और व्यय के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएंगी।

टिप्पणी : 1 चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. का अनुपात सीएसओ के राष्ट्रीय लेखों की 2004-05 श्रृंखला पर आधारित है।

2 पूर्णांकन किए जाने/मोटे अनुमानों के कारण आंकड़े संभवतः जोड़ से मेल न खाएँ।

**चित्र 3.3 राजस्व व्यय की संरचना**



### राजस्व तथा पूंजी प्राप्ति

3.8 वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के उज्ज्वल संवृद्धि दृष्टिकोण के साथ वर्ष 2011-12 के बजट में 7,89,892 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति प्रक्षेपित की गई थी जो वर्ष 2010-11 के दौरान हासिल 7,94,277 करोड़ रुपए (अंतिम वास्तविक आंकड़े) से थोड़ी सी कम थी। जैसाकि पहले कहा गया है वर्ष 2010-11 में हालांकि बजट अनुमान में 1,48,118 करोड़ रुपए का कर-भिन्न राजस्व अनुमानित किया गया था, वास्तविक प्राप्ति 2,21,487 करोड़ रुपए की थी जो थर्ड जेनरेशन/ब्रांड बैंड वायरलेस एक्सेस (3जी/बी डब्ल्यू ए) दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी से प्राप्ति के रूप में 1,06,000 करोड़ रुपए की अनुमानित से उच्चतर वसूली के कारण थी। इस शीर्ष के तहत आधिक्य प्राप्ति के लिए समायोजन करने पर राजस्व प्राप्ति में वृद्धि 20.2 प्रतिशत होगी। ब.अ. 2011-12 में, कर भिन्न राजस्व 1,25,435 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था। स्पेक्ट्रम नीलामियों के तहत 1,06,000 करोड़ रुपए की एक बारगी प्राप्ति के लिए समायोजन करने पर ब.अ. 2011-12 में कर-भिन्न राजस्वों में वर्षानुवर्ष 14.8 प्रतिशत की वृद्धि परिकल्पित की गई है।

3.9 वर्ष 2011-12 (ब.अ.) में सकल कर राजस्व में वृद्धि सं.अ. 2010-11 की तुलना में 18.5 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था तथा यह अर्थव्यवस्था के उच्च संवृद्धि पथ की ओर वापसी पर आधारित थी। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात (तत्कालीन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) के रूप में, राजस्व प्राप्ति वर्ष 2010-11 में 10.4 प्रतिशत के स्तर से गिर कर 8.8 प्रतिशत होनी अनुमानित की गई थी। सकल कर राजस्व के वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद के 10.1 प्रतिशत के स्तर से सुधर कर वर्ष 2011-12 (ब.अ.) में सकल घरेलू उत्पाद का 10.4 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था। 31 जनवरी 2012 तथा 7 फरवरी 2012 को केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के आधार पर, राजस्व प्राप्ति वर्ष 2010-11 में सकल घरेलू उत्पाद का 10.4 प्रतिशत (वर्ष 2011-12 में 8.9

प्रतिशत) अनुमानित की गई थी तथा सकल कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 10.4 प्रतिशत (वर्ष 2011-12 में 10.5 प्रतिशत) अनुमानित था (सारणी 3.3)।

3.10 ऋण-भिन्न किस्म की पूंजी प्राप्ति वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत नहीं रही हैं जिसका कारण केन्द्र द्वारा राज्यों को ऋणों में मध्यस्थहीनता तथा विनिवेश प्राप्ति के निम्न स्तरों का होना तथा साथ ही उनकी प्राप्ति संबंधी संव्यवहार की नीति में परिवर्तनों का होना है। अन्य प्राप्ति (मुख्यतया सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश) के तहत 40,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में, वर्ष 2010-11 में 22,847 करोड़ रुपए वसूल किए गए थे। वर्ष 2011-12 के बजट में यह निर्दिष्ट किया गया था कि 2010-11 की शुरुआती अवधि में कर-भिन्न राजस्वों में प्रत्याशित से उच्चतर वसूली के परिणामस्वरूप उस वर्ष के लिए आयोजनाबद्ध कुछ विनिवेश का पुनः अनुसूचीकरण किया गया तथा परिमाणतः वर्ष 2011-12 के लिए भी 40,000 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था की गई।

### प्रत्यक्ष कर

3.11 सकल कर राजस्व के अनुपात के रूप में, प्रत्यक्ष कर वर्ष 2007-08 से कुल करों के लगभग आधे या उससे अधिक के लिए उत्तरदायी रहे हैं। इस दशक में पूर्ववर्ती संघटन को देखते हुए, जिसमें अप्रत्यक्ष करों का बड़ा हिस्सा था, इसने प्रत्यक्ष करों में, विशेषतया कारपोरेशन कर में वृद्धि के मजबूत स्तरों को निर्दिष्ट किया। तथापि, वैश्विक संकट के प्रभावस्वरूप मांग में मंदी के कारण वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में कारपोरेशन कर में वृद्धि संतुलित थी। कारपोरेशन कर की वृद्धि में 2010-11 में 22.4 प्रतिशत पर पुनः उछाल आया। वैयक्तिक आयकर में वृद्धि में वर्ष 2008-09 में काफी गिरावट आई तथा यह 3.3 प्रतिशत पर पहुंच गई और वर्ष 2009-10 में पुनः उछल कर 15.4 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई। वर्ष 2010-11 में संवृद्धि के 13.7 प्रतिशत के स्तर पर मामूली रूप से निम्नतर होने से वर्ष 2010-11 में प्रत्यक्ष करों में समग्र वृद्धि 19.5 प्रतिशत थी। कारपोरेशन कर में 20.2 प्रतिशत

सारणी 3.3 : कर राजस्व के स्रोत							
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (ब.अ.)	2010-11 (अ.)	2011-12 (ब.अ.)
	(₹ करोड़)						
<b>प्रत्यक्ष कर (क)</b>	<b>219724</b>	<b>295938</b>	<b>319859</b>	<b>367543</b>	<b>422500</b>	<b>439258</b>	<b>525151</b>
वैयक्तिक आयकर	75093	102644	106046	122370	120566	139148	164526
निगम कर	144318	192911	213395	244725	301331	299423	359990
<b>अप्रत्यक्ष कर (ख)</b>	<b>241538</b>	<b>279031</b>	<b>269433</b>	<b>244737</b>	<b>315000</b>	<b>345739</b>	<b>397250</b>
सीमाशुल्क	86327	104119	99879	83324	115000	136058	151700
उत्पाद शुल्क	117613	123611	108613	102991	132000	138372	163550
सेवा कर	37598	51301	60941	58422	68000	71309	82000
<b>सकल कर राजस्व<sup>#</sup></b>	<b>473512</b>	<b>593147</b>	<b>605299</b>	<b>624528</b>	<b>746651</b>	<b>795064</b>	<b>932440</b>
	सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व						
<b>प्रत्यक्ष कर (क)</b>	<b>46.4</b>	<b>49.9</b>	<b>52.8</b>	<b>58.9</b>	<b>56.6</b>	<b>55.2</b>	<b>56.3</b>
वैयक्तिक आयकर	15.9	17.3	17.5	19.6	16.1	17.5	17.6
निगम कर	30.5	32.5	35.3	39.2	40.4	37.7	38.6
<b>अप्रत्यक्ष कर (ख)</b>	<b>51.0</b>	<b>47.0</b>	<b>44.5</b>	<b>39.2</b>	<b>42.2</b>	<b>43.5</b>	<b>42.6</b>
सीमाशुल्क	18.2	17.6	16.5	13.3	15.4	17.1	16.3
उत्पाद शुल्क	24.8	20.8	17.9	16.5	17.7	17.4	17.5
सेवा कर	7.9	8.6	10.1	9.4	9.1	9.0	8.8
	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व						
<b>प्रत्यक्ष कर (क)</b>	<b>5.1</b>	<b>5.9</b>	<b>5.7</b>	<b>5.7</b>	<b>6.1</b>	<b>5.7</b>	<b>5.9</b>
वैयक्तिक आयकर	1.7	2.1	1.9	1.9	1.7	1.8	1.8
निगम कर	3.4	3.9	3.8	3.8	4.3	3.9	4.0
<b>अप्रत्यक्ष कर (ख)</b>	<b>5.6</b>	<b>5.6</b>	<b>4.8</b>	<b>3.8</b>	<b>4.5</b>	<b>4.5</b>	<b>4.5</b>
सीमाशुल्क	2.0	2.1	1.8	1.3	1.7	1.8	1.7
उत्पाद शुल्क	2.7	2.5	1.9	1.6	1.9	1.8	1.8
सेवा कर	0.9	1.0	1.1	0.9	1.0	0.9	0.9
<b>सकल कर राजस्व<sup>#</sup></b>	<b>11.0</b>	<b>11.9</b>	<b>10.8</b>	<b>9.7</b>	<b>10.8</b>	<b>10.4</b>	<b>10.5</b>

स्रोत : केन्द्रीय बजट दस्तावेज और महालेखा परीक्षक

ब.अ. : बजट अनुमान अ. : अंतिम वास्तविक आंकड़े (अलेखापरीक्षित)

# इसमें (क) तथा (ख) में उल्लिखित कर तथा संघ राज्य क्षेत्रों के कर और "अन्य" कर शामिल हैं।

टिप्पणी : (1) प्रत्यक्ष करों में व्यय ब्याज, सम्पत्ति, उपहार तथा सम्पदा शुल्क संबंधी कर शामिल हैं।

(2) चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में अनुपात सीएसओ की राष्ट्रीय लेखा 2004-05 श्रृंखला पर आधारित हैं।

की तथा वैयक्तिक आय कर में 18.2 प्रतिशत की परिकल्पित वृद्धि के साथ ब.अ. 2011-12 में इसके उसी स्तर पर रहने की बजटीय व्यवस्था की गई। वर्ष 2011-12 के बजट में सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए की गई अभिशासन पहलों को रेखांकित किया गया जिनमें आय कर विवरणियों की आन लाईन तैयारी तथा ई-फाइलिंग, प्रतिदायों को सीधे करदाताओं के बैंक खातों में जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ई सी एस) सुविधा, तथा स्रोत-पर कर कटौती (टी डी एस) दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग शामिल है। साथ ही करदाताओं के एक वर्ग को अधिसूचित किया गया जिन्हें आय विवरणी दायर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनकी आयकर देयता का निर्वहन स्रोत पर ही किया जा चुका है।

3.12 जहां तक वर्ष 2011-12 के लिए प्रस्तावों का संबंध है, कर स्लैब को विस्तृत करने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए बजट में व्यक्त करदाताओं की सामान्य श्रेणी के लिए वैयक्तिक आयकर

छूट सीमा को 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए किया गया; वरिष्ठ नागरिकों के लिए अर्हता आयु को 65 वर्ष से घटा कर 60 वर्ष करने के साथ ही उनकी अनुमत छूट में 10,000 रुपए का वर्धन किया गया (2,40,000 रुपए से बढ़ाकर 2,50,000 रुपए) तथा अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष तथा उससे ऊपर) की एक नवीन श्रेणी का सृजन किया गया जिन्हें 5,00,000 रुपए की उच्चतर छूट सीमा अनुमत की गई। बजट 2011-12 में निगम कर पर अधिभार को पूर्ववर्ती 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया जबकि न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की दर को बही लाभ के 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया गया और मैट का उद्ग्रहण विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस ई जेड) तक विस्तारित किया गया। संगठित व्यवसाय द्वारा कर भुगतान का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए सीमित देयता भागीदारों (एल एल पी) के मामले में 18.5 प्रतिशत की दर पर वैकल्पिक न्यूनतम कर (ए एम टी) की शुरुआत की गई।

## अप्रत्यक्ष कर

3.13 उत्पाद शुल्कों में कमी वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट तथा अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव के परिणामस्वरूप उद्घोषित राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज का एक प्रमुख संघटक था। वर्ष 2009-10 और 2010-11 में अर्थव्यवस्था के पुनः व्यवस्थित होने और 2010-11 में अप्रत्यक्ष करों में अच्छी वृद्धि होने से, बजट 2011-12 में उत्पाद शुल्क में कटौती को वापिस लेने का विकल्प था। किन्तु दो कारणों से इसका परिहार किया गया: संवर्धित व्यापार मार्जिन प्राप्त करने, उच्चतर निवेश दरों को प्रोत्साहित करने और वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत को सुकर बनाने के लिए। शीर्ष गैर-कृषीय सीमा शुल्क दरों को 10 प्रतिशत पर बनाए रखते हुए, बजट 2011-12 में 2 प्रतिशत, 2.5 प्रतिशत और 3 प्रतिशत की तीन दरों को 2.5 प्रतिशत के मध्य स्तर पर तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया गया।

## सीमा शुल्क

3.14 इन शुल्क दरों में कुछ क्षेत्र-विशिष्ट परिवर्तन किए गए:

### खाद्य/कृषि-प्रसंस्करण/कृषि

- विनिर्दिष्ट कृषिय मशीनरी यथा धान प्रतिरोपकों, लेज़र भूमि तल क्षेतकों, कपास परिष्कारकों, काटने एवं बांधनेवाली मशीनों, भूसे और चारे को बांधने वाले यंत्रों, गन्ना कटाई मशीनों, और ट्रैक-टाईप संयुक्त कटाई मशीनों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त ट्रैकों पर आधारिक सीमा-शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया। इन्हीं उपस्करों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पुर्जों और संघटकों पर आधारिक सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया।
- लघु-सिंचाई उपस्करों पर आधारिक सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।
- कच्चा पिस्ता और करोंदे के उत्पादों पर आधारिक सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया; धूप में सुखाए हुए काले बीज रहित किशमिशों पर इसे 100 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत किया गया।
- तेल-रहित चावल भूसी तेल केक को आधारिक सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दी गई।
- तेल-रहित चावल भूसी तेल केक के निर्यातों पर 10 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगाया गया।

### ऑटोमोबाइल्स:

- संकर वाहनों नामतः बैटरी पैकों, बैटरी चार्जर्स, एसी/डीसी इलेक्ट्रिक मोटरों और मोटर नियंत्रकों के विनिर्दिष्ट पुर्जों पर 5 प्रतिशत के रियायती प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) (केन्द्रीय

उत्पाद शुल्क की छूट के द्वारा) के साथ आधारिक सीमा शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) से पूरी छूट दी गई। (वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यक्षीन और 31 मार्च, 2013 तक उपलब्ध)।

- ऐसे आयातकों, जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की केन्द्रीय वित्तीय सहायता योजना के लिए अधिसूचित अभिकरणों के साथ पंजीकृत हैं, द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अतिरिक्त बैटरी पैकों के आयात पर सीमा शुल्क छूट और 5 प्रतिशत का रियायती सीवीडी भी उपलब्ध कराया गया।
- रियायती आयात शुल्क के लिए पात्र किसी वाहन, जिनमें दोपहिया वाहन शामिल हैं, की 'पूरी तरह समाप्त हुई यूनिट' के लिए परिभाषा समाविष्ट की गई, जिसमें उन यूनिटों को छोड़ा गया जिनमें एक पूर्व-समवेत ईजन अथवा गीयरबाक्स अथवा पारेषण-तंत्र या एक ऐसा चैसिस शामिल हो, जहां इनमें से कोई भी पुर्जे या उप-समवेत संस्थापित किए गए हों।

### वस्त्र:

- आधारिक सीमा शुल्क को कच्चे रेशम (फेंका न गया हो) की सभी श्रेणियों पर 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत; वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यक्षीन पोली टेटरा मीथीलीन ईथर ग्लाएकोल और डीफेनाईलमीथेन 4,4 डाईसोसाइनेट पर 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत; एक्रीलोनीट्राईल पर 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत; सोडियम पॉलीएक्रीलेट पर 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत; केपरोलेक्टम पर 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत; नाइलोन चिप्स, फाइबर और ऊनी सूत पर 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत; रेयॉन श्रेणी लकड़ी के गूदे पर 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया।
- कपास अवशेषों को आधारिक सीमा शुल्क से पूर्णतया छूट दी गई।

### पूँजी वस्तुएं/अवसंरचना

- छूट की सीमा के भीतर जल पंप-चालन स्टेशन और जलाशयों को भी शामिल करके कृषिय और औद्योगिक प्रयोग के लिए जलापूर्ति परियोजनाओं को पूर्ण सीमा शुल्क छूट देने का क्षेत्र विस्तारित किया गया।
- पनबिजली विद्युत परियोजनाओं के लिए 'सुरंग भेदी मशीनों' और उससे संबंधित पुर्जों को दी गई आधारिक सीमा शुल्क और सीवीडी से पूर्ण छूट का लाभ राजमार्ग विकास परियोजनाओं के लिए ऐसी मशीनों को भी दिया गया।
- विनिर्दिष्ट रत्न और आभूषण संबंधी मशीनरी के लिए आधारिक सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।

## 52 आर्थिक समीक्षा 2011-12

- नकद वितरक (डिस्पेंसर्स) और नकद वितरकों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पुर्जों पर आधारिक सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दी गई।
- वर्तमान में उच्च-गति मुद्रण मशीनरी के लिए प्रयोज्य रियायती 5 प्रतिशत के आधारिक सीमा शुल्क, 5 प्रतिशत सीवीडी और शून्य एसएडी को पंजीकृत समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों द्वारा आयातित ऐसी मुद्रण मशीनरी के साथ अनुकूल मेलरूप उपस्करों पर भी प्रयोज्य किया गया।
- 23 विनिर्दिष्ट उच्च वोल्टेज पारेषण उपस्करों से संबंधित पुर्जों और संघटकों पर 5 प्रतिशत आधारिक सीमा शुल्क, 5 प्रतिशत सीवीडी और शून्य एसएडी की रियायती दर प्रयोज्य की गई।
- जैवाधारित अस्फाल्ट सीलरों तथा परिरक्षण अभिकर्मकों, मिलिंग रिमूवर्स तथा क्रेक फिलरों, अस्फाल्ट रिमूवर्स तथा जैवाधारित अस्फाल्ट अनुप्रयोगों के लिए क्षरण संरक्षकों एवं स्प्रेअर तंत्रों के लिए आधारिक सीमा शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गई।

### पर्यावरण-अनुकूल मदों के लिए रियायतें

- एलईडी लाइटों और लाइट फिक्सचरों के विनिर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली लाईट-निस्त्रावी किरणों (एलईडी) को 5 प्रतिशत की रियायती सीवीडी और एसएडी से पूरी छूट प्रदान की गई।
- सौर ऊर्जा बतियों अथवा लैम्पों पर आधारिक सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।
- सौर ऊर्जा सेलों/मापांकों के विनिर्माण के लिए आयातित कठोरीकृत शीशे और चांदी के लेप को वास्तविक प्रयोक्ता शर्त पर सीमा शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गई।

### स्वास्थ्य क्षेत्र

- अंतः संवहनी स्टेंटों को 5 प्रतिशत के आधारिक सीमा शुल्क से पूर्णतया छूट दी गई।
- वास्तविक प्रयोक्ता शर्त पर सिरिंजों, सुईयों, नाल शलकाओं और लघुनलिकाओं के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री पर 5 प्रतिशत आधारिक सीमा शुल्क, 5 प्रतिशत सीवीडी और शून्य एसएडी की रियायती आयात शुल्क व्यवस्था।
- खुदरा बिक्री के लिए आयातित पेटेंट और मालिकाना दवाईयों को एसएडी से छूट प्रदान की गई।
- चार विनिर्दिष्ट जीवन-रक्षक औषधों और उनके प्रपुंज औषधों पर सीमा शुल्क को शून्य सीवीडी सहित 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया (उत्पाद शुल्क छूट के माध्यम से)।

- होम्योपैथिक दवाईयों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले दुग्धशर्करा (लैक्टोस) पर आधारिक सीमा शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया।

### इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर:

- इंक-जेट और लेज़र-जेट प्रिंटरों के विनिर्माण के लिए आयातित इन प्रिंटरों के पुर्जों पर 5 प्रतिशत सीवीडी और शून्य एसएडी की रियायती आयात शुल्क संरचना निर्धारित की गई।
- वैयक्तिक कम्प्यूटर सहबद्धता केबलों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पुर्जों/संघटकों तथा सेल्युलर फोनों सहित मोबाइल फोनों के बैटरी चार्जर, हैंड्स फ्री फोनों तथा पी सी सहबद्धता केबलों के पुर्जों तथा संघटकों के उप-पुर्जों और मोबाइल को आधारिक सीमा शुल्क से पूरी छूट दी गई।
- मोबाइल हैंडसेट्स, जिनमें सेल्युलर फोन शामिल हैं, के विनिर्माण के लिए पुर्जों, संघटकों और उपसाधनों पर 31 मार्च, 2011 तक प्रदान की गई एसएडी से पूर्ण छूट को 31 मार्च 2012 तक बढ़ाया गया।
- इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के विनिर्माण के लिए अतिरिक्त विनिर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं और कच्ची सामग्री को सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दी गई।
- वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधधीन डीवीडी राइटरों, कोम्बो ड्राइव्स और सीडी ड्राइव्स के विनिर्माण संबंधी पुर्जों पर 5 प्रतिशत सीवीडी और शून्य एसएडी की रियायती आयात शुल्क संरचना निर्धारित की गई।

### वायुयान:

- अनिर्धारित प्रचालनों के लिए वायुयान के आयातों पर 2.5 प्रतिशत का आधारिक सीमा शुल्क लगाया गया। अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी) और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी) से छूट जारी रहेगी।
- वर्तमान में वायुयान के लिए उपलब्ध शिक्षा उप-कर तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उप-कर से छूट हटा ली गई।

### निर्यात संवर्धन

- उन विनिर्दिष्ट वस्तुओं की सूची, जिन्हें निर्यात के लिए चमड़ा वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयोग करने के लिए शुल्क-मुक्त आयात किए जाने की अनुमति प्राप्त है, में विस्तार किया गया है।
- वस्त्रों और चमड़ा परिधानों के विनिर्माण में प्रयोग करने के लिए शुल्क-मुक्त आयात किए जाने के लिए अनुमति प्राप्त विनिर्दिष्ट वस्तुओं की सूची, में लेबल, टैग और तत्संबंधी सेंसर्स जैसे चोरी-निरोधक उपकरणों को शामिल करके, उसका विस्तार किया गया है।

- वस्त्र/चमड़ा परिधानों के विनिर्माण और निर्यात के लिए अन्य चमड़ा वस्तुओं के लिए शुल्क-मुक्त आयात किए जाने के लिए अनुमत मदों की सूची में कुछ मदों के विवरण को बदला गया है।
- व्यापारी निर्यातकों/उनके सहायक विनिर्माणकर्ताओं द्वारा चमड़ा वस्तुओं, जूतों, और वस्त्र परिधानों के विनिर्माण के लिए कतरनों, सजावटों, संघटकों आदि को शुल्क-रहित आयात का लाभ दिया गया।
- हस्तशिल्प क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले विनिर्दिष्ट औजारों को हस्तशिल्प निर्यातकों को शुल्क-मुक्त आयातित किए जाने के लिए अनुमत विनिर्दिष्ट वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया।
- मीन मछली भोजन को आधारीक सीमा शुल्क से पूरी छूट दी गई।
- वन्नामेई ब्रूडस्टॉक पर आधारीक सीमा शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया; अगरबत्ती के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त बांस पर इसे 30 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया।

#### कागज:

- रद्दी कागज पर आधारीक सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया।

#### धातुएं:-

- जंगरोधी इस्पात अवशिष्टों को आधारीक सीमाशुल्क से पूरी छूट दी गई।
- फेरो-निकेल पर आधारीक सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया।
- लौह अयस्क परिष्करणों और पिंडकों पर निर्यात शुल्क की प्रभावी दर को 20 प्रतिशत पर एकीकृत करते हुए लौह अयस्कों पर निर्यात शुल्क की सांविधिक दर को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया।
- लौह अयस्क छर्चों को निर्यात शुल्क से पूर्णतया छूट दी गई।
- ताम्र धातुमल, ताम्र अपशिष्टों, ताम्र ऑक्साइड मिल स्केल, पीतल धातुमल और जस्ता राख को 4 प्रतिशत के विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट दी गई।
- वैनडियम पेंटाआक्साइड और वैनडियम स्लज पर आधारीक सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया।
- ताम्र सान्द्रों में समाविष्ट सोने और चांदी के मूल्य पर आधारीक सीमा शुल्क से छूट प्रदान की गई।

#### बहुमूल्य धातुएं:

- भारत में क्रम संख्यांकित सोने की छड़ों के परिष्करण और विनिर्माण के लिए आयातित 80 प्रतिशत तक सोने की

शुद्धता वाली सोने की छड़ों के लिए निर्धारित 'शून्य आधारीक सीमा शुल्क + ₹ 140 प्रति 10 ग्राम का सीवीडी + शून्य विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क' का आयात शुल्क।

#### विविध:

- कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक, पेट्रोलियम कोक और खनिज जिप्सम पर आधारीक सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया।
- वास्तविक प्रयोक्ता आधार पर कपड़े धोने के साबुन के विनिर्माण में प्रयोग के लिए कच्चे ताड़ स्टीयरिन को आधारीक सीमा शुल्क से पूरी छूट दी गई।
- वर्तमान में, कलाकृतियों और पुरावशेषों की विनिर्दिष्ट श्रेणियों को विनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र के लिए सीमा शुल्क से छूट प्रदान की गई है।
- वित्त विधेयक में विशेष प्रावधान किया गया है जिसमें भारत में आयातित कास्टिक सोडा लाई के आयातों पर भूतलक्षी प्रभाव से निर्णायक सुरक्षा शुल्क लगाया गया है और यह शुल्क 4 दिसंबर, 2009 से 3 मार्च 2010 की अवधि के लिए भूतलक्षी प्रभाव से लगाया गया है।
- केन्द्र सरकार द्वारा जारी तथा 15 मार्च, 2003 के पश्चात् समाशोधित आयात लाइसेंसों के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन महासंघ द्वारा आयातित ताजे लहसुन को भूतलक्षी प्रभाव से 30 प्रतिशत का रियायती आधारीक सीमा शुल्क प्रदान करने के लिए वित्त विधेयक में विशेष प्रावधान किया गया था।
- निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) योजना के तहत किए गए निर्यातों को अनुमत करने के लिए कतिपय अधिसूचनाओं में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया गया ताकि सर्वड फ्राम इण्डिया योजना और फोकस बाजार योजना जैसी निर्यात पुरस्कार योजनाओं का साथ-साथ लाभ उठाया जा सके।

#### विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)

- घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में विशेष आर्थिक क्षेत्रों से सभी समाशोधनों को 4 प्रतिशत के विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट दी गई बशर्ते कि उन्हें मूल्य वर्धित कर (वैट)/बिक्री कर के उद्ग्रहण से छूट न दी गई हो।
- वस्तुओं के अवशिष्टों अथवा रद्दी से पुनः प्रसंस्कृत प्लास्टिक सामग्रियों को प्रदान की गई सीवीडी छूट एसईजेड यूनिटों में विनिर्मित ऐसी प्लास्टिक सामग्रियों के डीटीए समाशोधनों को भी दी गई।

#### जहाज मरम्मत

समुद्र में जाने वाले वाहनों की मरम्मत के लिए अपेक्षित कल-पुर्जों और उपभोज्य वस्तुओं के आयात पर जहाज मरम्मत यूनिटों को दी गई छूट का लाभ भारत में पंजीकृत ऐसे वाहनों के स्वामियों द्वारा समुद्र में जाने वाले वाहनों की मरम्मत के लिए ऐसे कल-पुर्जों और उपभोज्य वस्तुओं को भी दिया गया।

## 54 आर्थिक समीक्षा 2011-12

### केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

3.15 बजट 2011-12 में किए गए प्रमुख उपायों में से कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:-

- ऐसी लगभग 130 विनिर्दिष्ट मदों पर सेनवेट क्रेडिट सुविधा के बिना 1 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगाया गया, जिन्हें पहले या तो उत्पाद शुल्क से पूर्णतया छूट दी गई थी अथवा जिनपर उत्पाद शुल्क की शून्य दर लगाई जा रही थी।
- उत्पाद शुल्क के 4 प्रतिशत की मेरिट दर को बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया।
- कोई ब्रांड-नाम धारित करने वाले अथवा किसी ब्रांड नाम के तहत बिकने वाले तैयार-निर्मित परिधानों और वस्त्रों पर 10 प्रतिशत का अनिवार्य उत्पाद शुल्क अधिरोपित किया गया।
- स्वचालित करघों और प्रक्षेपक करघों पर 5 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगाया गया।
- गैर-पारम्परिक सामग्री से विनिर्मित 3500 मीट्रिक टन तक के कागज समाशोधनों को उत्पाद शुल्क से दी गई छूट को हटा लिया गया।
- अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 की अनुसूची में से चीनी और वस्त्र मदों को हटाया गया।

### खाद्य/कृषि-प्रसंस्करण

- कृषि, उद्यान कृषि, दुग्ध, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन, जल तथा समुद्री उत्पाद के परिरक्षण, भंडारण, संवहन अथवा प्रसंस्करण के लिए शीत श्रृंखला अवसंरचना की संस्थापना हेतु वायु-अनुकूलन उपकरणों, पैनलों और प्रशीतन पैनलों को; कृषि, उद्यान कृषि, दुग्ध, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन, जल तथा समुद्री उत्पाद के परिरक्षण, भंडारण, परिवहन या प्रसंस्करण के लिए शीत भंडारण में प्रयोग के लिए तथा खाद्यान्नों एवं चीनी के भंडारण के लिए मंडियों तथा भंडागारों में प्रयोग हेतु कन्वेयर बेल्ट प्रणालियों को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी गई।

### पूँजीगत वस्तुएं:

- विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत विद्यमान मेगा/अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के विस्तार के लिए अपेक्षित वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की गई, जो ऐसी परियोजनाओं के विस्तार हेतु वस्तुओं के आयात पर सीवीडी से छूट के समतुल्य होगी।
- विनिर्दिष्ट वस्त्र मशीनरी के पुर्जों पर उत्पाद शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।
- सिलाई मशीनों (अंतर्निर्मित मोटरों वाली मशीनों के अलावा) के विनिर्दिष्ट पुर्जों को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट प्रदान की गई।

### पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा बचाने वाली वस्तुएं

- ईंधन सेल प्रौद्योगिकी पर आधारित हाइड्रोजन वाहनों के लिए 10 प्रतिशत के उत्पाद शुल्क की रियायती दर निर्धारित की गई।
- जीवाश्म ईंधन वाहनों को संकर वाहनों में परिवर्तित करने के लिए संकर किटों पर उत्पाद शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया। ऐसी किटों के पुर्जों पर 5 प्रतिशत शुल्क लगेगा।

### स्वास्थ्य

- सेनिटरी नैपकिनों, बाल और चिकित्सकीय डायपरों और वयस्क डायपरों (तथा साथ ही वस्त्रवेडिंग की समान वस्तुओं) पर बिना सेनवेट क्रेडिट के उत्पाद शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया गया।

### जलापूर्ति

- पेय जल को उसके स्रोत से संयंत्र तक और वहां से लेकर प्रथम भंडारण स्थान तक पहुंचाने के लिए अपेक्षित पाइपों को दी गई उत्पाद शुल्क से पूरी छूट को पाइप फिटिंगों जैसे ज्वाइंट्स, एल्बोज़ और कपलिंग्स तक बढ़ाया गया।
- बिना बिजली के दाबानुकूलित नलके का पानी का प्रयोग करने वाले वाटर फिल्टरों और उनकी प्रतिस्थापनीय किटों पर 1 प्रतिशत के उत्पाद शुल्क की रियायती दर प्रयोज्य की गई।

### आटोमोबाईल क्षेत्र

- कारखाना-निर्मित एम्बुलेंसों पर 10 प्रतिशत के उत्पाद शुल्क की रियायती दर प्रयोज्य की गई। अन्य वाहन जो कारखाने से निकलने के पश्चात् एम्बुलेंसों के रूप में बाद में तैयार किए जाएंगे, प्रतिदाय आधारित रियायत के लिए पात्र बने रहेंगे।
- टैक्सी प्रतिदाय (रिफंड) योजना के कार्य क्षेत्र में चालक समेत 13 व्यक्तियों को ले जाने वाले वाहनों को शामिल किया गया।
- टैक्सियों के लिए रियायती उत्पाद शुल्क संरचना को तर्कसंगत बनाया गया, जिससे ऐसे वाहनों पर प्रदत्त उत्पाद शुल्क के 20 प्रतिशत की वापसी की जाएगी, बशर्ते कि वे कारखाने से निकलने के पश्चात् टैक्सी के रूप में पंजीकृत हों।
- पावर टिलरों के पुर्जों को पावर टिलरों का विनिर्माण करने के लिए उसी विनिर्माता के किसी अन्य कारखाने को समाशोधित किए जाने पर उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गई।

### कागज और गत्ता

- कपास के डंडों से बने गत्तों को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी गई।

- लहरीदार डिब्बों को 5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क की रियायती छूट दी गई, चाहे उनकी बाहरी सतह पर दुपर्ती कागज चिपका हो या नहीं।
- चिकनाई रोधी कागज और ग्लासाईन कागज पर उत्पाद शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।

### बहुमूल्य धातुएं

- तोला छड़ों को छोड़कर अयस्क/सान्द्र चरण से शुरू करके, अंत तक एक ही कारखाने में बनी क्रम संख्याकित सोने की छड़ों पर उत्पाद शुल्क को “रु. 280 प्रति 10 ग्राम” से घटाकर “रु. 200 प्रति 10 ग्राम” किया गया।
- शुद्ध सोने की छड़ों को परिष्कृत करके विनिर्मित क्रम संख्याकित सोने की छड़ों पर भी रु. 200 प्रति 10 ग्राम की रियायती उत्पाद शुल्क दर प्रयोज्य की गई।
- तोला छड़ों को छोड़कर तांबे को गलाने की प्रक्रिया के दौरान विनिर्मित क्रम संख्याकित सोने की छड़ों पर “रु. 300 प्रति 10 ग्राम” का उत्पाद शुल्क लगाया गया।
- अयस्क/सान्द्र चरण से शुरू करके या शुद्ध सोने के छड़ से सोने के परिष्करण के दौरान अथवा तांबे को गलाने की प्रक्रिया के दौरान विनिर्मित चांदी पर “रु. 1500 प्रति किलोग्राम” का उत्पाद शुल्क लगाया गया।
- ब्रांडिड आभूषण और बहुमूल्य धातु की वस्तुओं पर 1 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया गया।

### वस्त्र

- पटसन के धागों के लिए 10 प्रतिशत उत्पाद शुल्क की प्रशुल्क दर निर्धारित की गई जबकि इसे साथ-साथ उत्पाद शुल्क से छूट भी दी गई।

### विविध

- चमड़ा उद्योग में प्रयोग किए जाने वाली किण्वक संबंधी उत्पादों को उत्पाद शुल्क से पूर्णतया छूट दी गई।
- 400 फीट और 1000 फीट के विशाल रोलों में रंगीन, अनुद्भासित चलचित्र की फिल्म को उत्पाद शुल्क से (और इस प्रकार आयातों को सीवीडी से) पूरी छूट दी गई।

### सेवा कर

3.16 वर्ष 1994-95 में सेवा कर की शुरूआत से एक बृहत् कराधार के रूप में अप्रत्यक्ष करों में प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन हुआ और इससे उत्पाद शुल्कों के यौक्तिकीकरण की प्रक्रिया सुकर हो गई जिसके परिणामस्वरूप उत्पादक क्षेत्रों पर कर भार कम हुआ। पिछले वर्षों में सेवाओं की संख्या और उद्ग्रहणीय सेवा कर की दर में वृद्धि हुई है (सारणी 3.4)। वर्ष 2011-12 के बजट में 10 प्रतिशत की सेवा कर दर को प्रतिधारित रखा गया और मौजूदा

सेवा कर प्रणाली और प्रस्तावित वस्तु और सेवा कर के बीच एक सामंजस्य बैटाने पर संकेन्द्रण किया गया। ऐसा भुगतान करने की क्षमता के सिद्धान्त पर कुछ नई सेवाओं को जोड़कर, मौजूदा सेवाओं के क्षेत्र का विस्तार करके अथवा उनका यौक्तिकीकरण करके, आवश्यक सेवाओं और मूल्यांकन से संबंधित कुछेक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाकर, आगत क्रेडिटों और निर्गत करों के बीच सही संतुलन को प्रभावित करने के लिए सेनेवेट क्रेडिट योजना के प्रावधानों में संशोधन करके और वस्तुओं तथा सेवाओं में इस योजना के प्रावधानों के बीच सामंजस्य स्थापित करके, अनुपालन में ईमानदारी को प्रोत्साहित करके और बेईमानी पर दंड लगाकर, और संग्रहण के उपचय आधार को सुकर बनाने के लिए कराधान बिंदु नियमों को अपनाकर किए जाने का प्रयास किया गया।

3.17 बजट 2011-12 की मुख्य पहलें/प्रमुख बातों का विवरण निम्नानुसार है:-

निम्नलिखित सेवाओं पर सेवा कर लगाया गया:-

मादक पेय पदार्थ सर्व करने के लिए लाइसेंस रखने वाले वातानुकूलित रेस्तरां द्वारा भोजन और/अथवा मादक पेय पदार्थ सर्व करने के संबंध में दी जाने वाली सेवाएं, किसी होटल, सराय, अतिथि गृह, क्लब अथवा कैम्पसाईट अथवा किसी अन्य ऐसे ही प्रतिष्ठान द्वारा तीन महीनों से कम की लगातार अवधि के लिए दिया गया अल्पावधिक वास।

कुछेक मौजूदा सेवाओं के कार्य क्षेत्र में विस्तार किया गया अथवा परिवर्तन किया गया:

- ‘जीवन बीमा सेवा’ के कार्य क्षेत्र में विस्तार करके उसमें किसी बीमाकर्ता जिसमें जीवन बीमा कारोबार करने वाला

### सारणी 3.4 : सेवा कर-बढ़ता हुआ राजस्व स्रोत

वर्ष	सेवाओं की संख्या#	कर दर प्रतिशत में	राजस्व ( ₹ करोड़ में )	गत वर्ष की तुलना में संवृद्धि प्रतिशत में@
2004-05	75	10	14200	80.0
2005-06	78	10	23055	62.4
2006-07	93	12	37598	63.1
2007-08	100	12	51301	36.4
2008-09	106	12*	60941	18.8
2009-10	109	10	58422	-4.1
2010-11(अ)	117	10	70896	21.4
2011-12 (अप्रैल-दिसम्बर)	119	10	60860	37.3

स्रोत: प्राप्ति बजट तथा महालेखानियंत्रक और राजस्व विभाग

टिप्पणी: 24 फरवरी 2009 से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया।

# प्रत्येक वर्ष जोड़ी गई प्रविष्टियों पर आधारित।

@ वर्ष 2011-12 हेतु वृद्धि ( अप्रैल-दिसम्बर ) पिछले वर्ष की समान अवधि के लिए है।

अ : अनंतिम वास्तविक आंकड़े

पुनः बीमाकर्ता भी शामिल है, द्वारा किसी पॉलिसी धारक अथवा किसी व्यक्ति को प्रदत्त सभी सेवाओं को शामिल किया गया। निवेश के लिए आर्बिट्रिज की गई राशि को छोड़कर प्रीमियम के भाग पर कर प्रभारित किया जाएगा जब प्रीमियम का ब्यौरा पालिसी धारक को दिए गए किसी दस्तावेज में पृथक पृथक दर्शाया गया हो। संघटन की दर को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत किया गया।

- 'क्लब या एसोसिएशन सेवा' के कार्यक्षेत्र में अपनी सीमा के भीतर गैर-सदस्यों को दी जाने वाली सेवा को शामिल किया गया।
- प्राधिकृत सेवा केन्द्र के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया इसमें:-
  - क) किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदत्त सेवाएं शामिल हुईं।
  - ख) माल गाड़ी तथा तिपहिया स्कूटर ऑटो रिक्शा की सर्विसिंग के लिए बने केन्द्रों को छोड़कर अन्य सभी मोटर वाहनों संबंधी केन्द्रों को शामिल किया गया; तथा
  - ग) पहले ही शामिल की जा चुकी सेवाओं के साथ-साथ वाहनों के संबंध में साज-सज्जा और अन्य समान सेवाओं को शामिल किया गया।
- 'कारोबार समर्थन सेवाओं' की परिभाषा में संशोधन किया गया ताकि उसमें किसी भी प्रकार से प्रचालनात्मक और प्रशासनिक सहायता के जरिए दी गई सेवाएं शामिल की जा सकें।
- कानूनी परामर्शी सेवाओं के कार्यक्षेत्र की सीमा को विस्तारित कर उसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया:
  - क) किसी कारोबारी निकाय द्वारा व्यष्टियों को कानून की किसी भी शाखा में, किसी भी प्रकार से सलाह, परामर्श, अथवा सहायता के संबंध में दी गई सेवा;
  - ख) किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी कारोबारी निकाय को दी गई प्रतिनिधित्व सेवा (व्यष्टियों को दी जाने वाली प्रतिनिधित्व सेवाएं छूटप्राप्त बनी रहीं); और
  - ग) किसी माध्यस्थ अधिकरण द्वारा किसी कारोबारी निकाय को दी गई 'माध्यस्थम' सेवा।
- वाणिज्यिक प्रशिक्षण अथवा अनुशिक्षण (कोचिंग) सेवाओं में, 'वाणिज्यिक प्रशिक्षण अथवा अनुशिक्षण केन्द्र' की परिभाषा में संशोधन किया गया ताकि उसमें इस तथ्य के बावजूद कर संजाल के भीतर सभी गैर मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों को लाया जा सके कि ये पाठ्यक्रम एक ऐसे संस्थान द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो उन पाठ्यक्रमों को भी चलाता है जिससे डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किया जा सकता है।

### कतिपय छूटों को बढ़ाया गया:

- विदेशों में आयोजित व्यापार प्रदर्शनियों के संबंध में दी जाने वाली सेवाओं को प्रदत्त छूट।
- समुद्रतटीय और अंतर्देशीय पोत परिवहन के माध्यम से वस्तुओं के परिवहन के अंतर्गत सेवा कर के उद्ग्रहण के प्रयोजनार्थ दिए गए कर योग्य मूल्य से 25 प्रतिशत की छूट।
- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन और राजीव आवास योजना के अंतर्गत नए आवासीय परिसरों के निर्माण अथवा समाप्ति के लिए दी गई 'निर्माण कार्य संविदा' सेवा को छूट प्रदान की गई।
- विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए 'निर्माण कार्य संविदा' के अंतर्गत किसी पत्तन या अन्य पत्तन अथवा किसी वायुपत्तन के भीतर प्रदत्त सेवाओं को छूट प्रदान की गई।
- सामान्य बीमा सेवा के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को छूट प्रदान की गई।
- 'वायुमार्ग द्वारा वस्तुओं का परिवहन' सेवा के अंतर्गत सेवा कर लगाने के प्रयोजनार्थ कर योग्य मूल्य से इतर सीमा शुल्क प्रभारित करने के लिए वस्तुओं के निर्धारणीय मूल्य में हवाई माल-भाड़े का मूल्य शामिल किया गया।
- जहां मूल और गंतव्य स्थल भारत से बाहर अवस्थित हैं, वहां सड़क, रेल अथवा वायु द्वारा वस्तुओं के परिवहन से संबंधित सेवाओं को सेवा कर से छूट प्रदान की गई।
- एआईजेड यूनिटों और विकास को सेवा कर प्रतिदाय के लिए एक आशोधित योजना शुरू की गई और अधिसूचना संख्या 9/2009-एसटी को अधिक्रमित किया गया। आशोधित योजना में 'पूर्ण छूट' प्रदान करने के लिए और एक आनुपातिक आधार पर सभी अन्य सेवाओं की धन-वापसी अनुमत करने के लिए, अधिसूचना में 'पूर्णतया उपभोज्य' सेवाओं को परिभाषित किया गया।
- देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और क्लब या एसोसिएशन सेवाओं पर कुछ विद्यमान छूटों को समाप्त कर दिया गया।

### संग्रहण दरें

3.18 सीमा शुल्क प्रशुल्कों को दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) देशों में प्रचलित सीमा शुल्क प्रशुल्कों से संरेखित करने के लिए उद्घोषित दीर्घवधिक वचनबद्धता के भाग के रूप में, वर्ष 1991 में सुधार प्रक्रिया की शुरुआत से सीमा शुल्क की शीर्ष दरों को प्रगामी रूप से घटाकर बजट 2007-08 में लगभग 10 प्रतिशत कर दिया गया। समग्र आधार पर संग्रहण दरें 2009-10 में प्रगामी रूप से गिरकर 5.9 प्रतिशत पर पहुंच गईं। वर्ष 2010-11 में संग्रहण दरों में वृद्धि देखी गई, जो उत्पाद शुल्क कटौतियों की अंशतः बहाली में (सीवीडी में वृद्धि) और कुछ संघटकों जैसे धातुएं, मानव-निर्मित रेशे, पेट्रोलियम, तेल और स्नेहकों (पीओएल) और रसायन की वैश्विक पण्य कीमतों में वृद्धि में प्रतिबिंबित हुई (सारणी 3.5)।

**सारणी 3.5 : चुनिंदा आयात समूहों के लिए संग्रहण दरें\***

(प्रतिशत)

क्रम संख्या	वस्तु समूह	1990-91	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (अन्तिम)
1.	खाद्य उत्पाद	47	32	23	19	4	3	3
2.	पी ओ एल	34	6	5	6	3	2	6
3.	रसायन	92	20	22	22	16	14	17
4.	मानव-निर्मित रेशे	83	34	28	30	17	22	30
5.	कागज तथा अखबारी कागज	24	9	10	10	8	8	8
6.	प्राकृतिक रेशे	20	13	12	13	6	4	5
7.	धातुएं	95	25	24	24	17	17	22
8.	पूँजीगत वस्तुएं	60	13	14	16	13	11	13
9.	अन्य	20	5	6	6	4	4	4
10.	पी ओ एल-भिन्न	51	12	12	13	9	8	9
11.	कुल	47	10	10	10	7	6	8

स्रोत : राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय

टिप्पणी: \* संग्रहण दर को राजस्व संग्रहण ( बुनियादी सीमा शुल्क + प्रतिकारी शुल्क ) का छूटों के लिए असमायोजित ( प्रतिशत ) आयातों के मूल्य के प्रति प्रतिशतता में व्यक्त अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।

क्रम सं. 1 में अनाज, दालें, चाय, दूध तथा क्रीम, फल, सब्जियां, पशु वसा तथा शर्करा शामिल हैं।

क्रम सं. 3 में रसायन तत्व, सम्मिश्र, भेषज, रंजक तथा रंगाई सामग्री, प्लास्टिक एवं रबड़ शामिल हैं।

क्रम सं. 5 में लुगदी तथा रद्दी कागज, अखबारी कागज, गत्ते तथा विनिर्मित उत्पाद एवं मुद्रित किताबें शामिल हैं।

क्रम सं. 6 में कच्ची ऊन तथा रेशम शामिल हैं।

क्रम सं. 7 में लोहा तथा इस्पात और अलौह धातुएं शामिल हैं।

क्रम सं. 8 में गैर-इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, परियोजना आयात तथा वैद्युत मशीनरी शामिल हैं।

**वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)**

3.19 वस्तु एवं सेवा कर को प्रचालनात्मक बनाने के लिए, मार्च 2011 में लोक सभा में संविधान (115वां संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित किया गया है, जिससे संसद और राज्य विधायिकाएं वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति संबंधी प्रत्येक लेन-देन पर वस्तु एवं सेवा कर लगाने के लिए कानून बना सकेंगीं। कुछ वस्तुएं, नामतः कच्चा पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, वायुयान टरबाइन ईंधन, प्राकृतिक गैस, और मादक पदार्थ, जीएसटी के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएंगीं। संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा राष्ट्रपति को इस विधान के पास होने के 60 दिनों के भीतर एक जीएसटी परिषद् का गठन करने के लिए भी सशक्त बनाया जाएगा, जिसमें केन्द्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष के रूप में तथा राजस्व राज्य मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्यों के रूप में शामिल होंगे। जीएसटी परिषद् सर्वसम्मति के आधार पर कार्य करेगी और जीएसटी दरों, छूट सूचियों और प्रारंभिक सीमाओं जैसे मुद्दों पर सिफारिशें करेगी। इसके अतिरिक्त, विधेयक में एक जीएसटी विवाद निपटान प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रावधान है जिसमें केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा जीएसटी परिषद् की सिफारिशों से विपथन होने के कारण उत्पन्न विवादों के समाधान के लिए एक अध्यक्ष और दो सदस्य शामिल होंगे। मसौदा विधेयक अब जांच हेतु वित्त संबंधी संसदीय समिति को भेज दिया गया है।

3.20 जीएसटी की शुरूआत के लिए उठाए जा रहे अन्य कदमों में एक मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अवसंरचना की स्थापना शामिल है। इस प्रयोजनार्थ, सरकार ने नंदन नीलकानी, अध्यक्ष, भारतीय अद्वितीय पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की अध्यक्षता में एक अधिकारप्राप्त समूह का गठन किया है। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन)—जो केन्द्र और राज्यों के लिए एक साझा पोर्टल है, की संकल्पना और अभिकल्पन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिससे पंजीकरण, प्रतिलाभों और संदायों की प्रमुख कारोबारी प्रक्रियाओं का इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण संभव हो जाएगा। इस प्रयोजनार्थ, इन प्रक्रियाओं की संरचना अंतिम रूप दिए जाने के आखिरी चरणों में है। राष्ट्रीय सूचना जनोपयोगिता का आरम्भण करने के लिए एक प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) का चयन किया गया है जो जीएसटी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अवलंब की स्थापना और प्रचालन करेगा। इस संबंध में, एनएसडीएल ने देश भर में अपने विस्तार से पूर्व ग्यारह राज्यों के सहयोग से एक मार्गदर्शी परियोजना शुरू की है। पदाधिकारियों के तीन संयुक्त कार्यकारी समूहों का गठन भी किया गया है, जिनमें कार्य करने के लिए क्रमशः केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और राज्य वित्त मंत्रियों की एक अधिकार प्राप्त समिति के अधिकारी शामिल होंगे जो क्रमशः विधान, व्यापारिक प्रक्रियाविधियों और आई टी अवसंरचना संबंधी काम करेंगे।

## कर व्यय

3.21 राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम (एफ आर बी एम ए) 2003 के तहत, परित्यक्त राजस्व संबंधी एक विवरण वर्ष 2011-12 के लिए प्राप्त बजट में शामिल किया गया है। निगम आयकर के तहत छूटों के कारण परित्यक्त कर के वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के लिए, क्रमशः 72,881 करोड़ रुपए तथा 88,263 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था। कारपोरेटों के मामले में, त्वरित मूल्यहास के कारण छूट, निर्यातोन्मुखी इकाइयों के निर्यात लाभों तथा साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में अवस्थित इकाइयों के लिए छूट तथा विद्युत एवं दूर संचार क्षेत्रों में व्यवसायों के लाभों के लिए छूट कुछ प्रमुख प्रोत्साहन थे। वैयक्तिक आयकर के तहत छूटों के कारण परित्यक्त कर वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में क्रमशः 40,297 करोड़ रुपए तथा 45,222 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था जिसमें आय कर अधिनियम की धारा 80 ग के तहत कतिपय अर्हक बचतों, निवेशों तथा व्ययों के कारण दी गई छूटें प्रमुख प्रोत्साहन थीं। यद्यपि उच्चतर निरपेक्ष कर भुगतानों के कारण छूटों की निरपेक्ष राशि में वृद्धि हुई है, लाभ संबद्ध छूटों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने तथा मैट के उद्ग्रहण के परिणामस्वरूप कारपोरेटों के मामले में कर की प्रभावी दर उच्चतर रही है जो वर्ष 2005-06 के लिए 19.2 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2009-10 में 23.5 प्रतिशत हो गई है।

3.22 अप्रत्यक्ष करों में, प्रशुल्क दरों (अर्थात् सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को शासित करने वाले अधिनियमों की अनुसूचियों में उल्लिखित दरें) तथा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा प्रचालनीकृत प्रभावी दरों के बीच अंतर कर व्यय का संघटन करता है। इनमें से कुछ छूटें 'क्षेत्र' आधारित हैं या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क प्रशुल्कों के तहत व्यवसाय समूहों की श्रेणी पर अथवा व्यष्टि मदों (प्रशुल्क शीर्ष) पर आधारित हैं। जहां तक उत्पाद शुल्कों का संबंध है, वर्ष 2009-10 में परित्यक्त राजस्व 1,69,121 करोड़ रुपए था जिसमें से क्षेत्र आधारित छूटों की राशि 8,553 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2010-11 में, परित्यक्त उत्पादशुल्क राजस्व की राशि 1,98,291 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था जिसमें से 11,250 करोड़ रुपए की राशि क्षेत्र-आधारित छूटों के कारण थी। सीमाशुल्क के मामले में, कम्प्यूटरीकरण के उच्चतर स्तरों के चलते परित्यक्त राजस्व के अधिक विस्तृत ब्यौरे उपलब्ध हैं। सीमाशुल्क छूटों के कारण कर व्यय वर्ष 2009-10 में 2,33,950 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2010-11 में 2,28,500 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था। इन छूटों के तहत प्रमुख शीर्ष हीरा तथा सोना, कच्चा तेल तथा खनिज तेल, खाद्य वनस्पति, फल, अनाज तथा वनस्पति तेल, मशीनरी तथा रसायन एवं प्लास्टिक थे। विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत परित्यक्त कर की राशि 38,662 करोड़ रुपए तथा 54,082 करोड़ रुपए होने

का अनुमान लगाया गया था जो उपर्युक्त अनुमानों का एक भाग है।

3.23 कर व्यय के उच्च स्तर मोटे तौर पर छूटों के आधिक्य तथा एक जटिल कर व्यवस्था निर्दिष्ट करते हैं। उन्हें युक्तिसंगत बनाने तथा न्यूनतम करने में फायदा है। तथापि, ये कर व्यय प्रमात्राएं कतिपय अनुमानों तथा सरलीकरणों के तहत परित्यक्त राजस्व के विस्तार को निर्दिष्ट करती हैं; यह निष्कर्ष निकालना असमुचित होगा कि यदि छूटें न दी गई होती तो ये राजस्व वस्तुतः उपार्जित हो सकते थे तथा इसलिए ये राजस्व हानि का संघटन करते हैं। एक कारण यह है कि राजस्व शुल्क दर के सीधे आनुपातिक हैं। आर्थिक सुधारों के पश्चात् यह भली भांति सिद्ध हो चुका है कि अपेक्षाकृत कम कर तथा करों के निम्नतर स्तर उच्चतर कर राजस्वों में परिणामी हुए हैं। इस प्रकार परित्यक्त राजस्व काफी अधिक सीमा तक अभिहित है। इसके अतिरिक्त, निम्नतर प्रभावी दरें उत्पादक क्षेत्रों के लिए अपेक्षित संरक्षण की पेशकश करती हैं तथा साथ ही अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धा को भी सुकर बनाती हैं जिससे बदले में कराधार व्यापक होता है। विनिर्माण पर उत्पादशुल्क के बारे में भी, छूटे विशिष्ट प्रयोजन हासिल करने में सहायता करती हैं तथा छूटों को हटाया जाना स्वतः ही अतिरिक्त राजस्व की समान प्रमात्रा में परिणामी नहीं होगा क्योंकि कीमतें तथा परिवर्तित मांग दशाएं वास्तविक उपार्जन को प्रभावित करती हैं।

## कर-भिन्न राजस्व

3.24 सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, कर-भिन्न राजस्व वर्ष 2001-02 में 3.0 प्रतिशत के चरम स्तर पर पहुंच गया था। सुस्थिर रूप से घटते हुए वर्ष 2008-09 में 1.7 प्रतिशत पर पहुंचने के पश्चात वर्ष 2010-11 में 3जी/बी डब्ल्यू ए नीलामी प्राप्तियों के कारण यह बढ़कर 2.9 प्रतिशत पर पहुंच गया। वर्ष 2011-12 के लिए बजट में कर भिन्न राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 1.4 प्रतिशत होने का अनुमान है। बारहवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र के प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार अगली योजना में भी मोटे तौर पर, कर-भिन्न राजस्व के अवमंदित रहने का अनुमान है। कर भिन्न राजस्व में विषम स्रोत जैसे लाभांश, ब्याज, शुल्क, अर्थदंड तथा सरकारी कार्यों के निर्वहन में एकत्रित विविध प्राप्तियां, विनियामक प्रभार तथा लाइसेंस शुल्क एवं प्रदत्त सेवाओं (आर्थिक एवं सामाजिक) के लिए प्रयोक्ता प्रभार शामिल हैं। लाभांश तथा लाभ एवं आर्थिक सेवाओं पर प्रयोक्ता प्रभार कर-भिन्न राजस्वों के प्रमुख संघटक हैं। कर-भिन्न राजस्व की संवृद्धि में मंदन का कारण लाभांशों तथा लाभों में वृद्धि की प्रवृत्ति के निम्न स्तर हैं। इसका एक भाग उच्च निविष्टि लागतों, विशेषतया कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों की उच्च निविष्टि लागतों के कारण है तथा घरेलू प्रशासित कीमतों में समनुरूप पास थ्रू से कमतर पास थ्रू के कारण है। तथापि, हालिया विगत समय में काफी उच्चतर स्तरों पर आर्थिक तथा सामाजिक, दोनों सेवाओं में प्रयोक्ता प्रभारों में वृद्धि का होना एक उल्लेखनीय घटनाक्रम है।

## व्यय की प्रवृत्तियाँ

3.25 राजकोषीय सुधारों तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधानों का एक प्रमुख संघटक सरकारी व्यय प्रबंधन है। एक आविर्भावी अर्थव्यवस्था में, जिसमें जन साधारण की पर्याप्त अपूर्ण न्यूनतम आवश्यकताएं विद्यमान हैं जो इक्विटी मुद्दों पर संकेन्द्रण को आवश्यक बनाती हैं तथा वृहत आर्थिक आवश्यकताएं हैं जिनके लिए घाटों तथा ऋणों पर विवेकपूर्ण सीमाओं की अपेक्षा है, राजकोषीय नीतियों के अंशांकन में सरकारी व्यय से प्राप्त का इष्टीकरण सन्निहित होना चाहिए। हालिया बजटों में बाह्य रूप से उच्चतर परिव्ययों के बजाए परिणामों तथा व्यय के पुनः प्राथमिकता निर्धारण पर संकेन्द्रण किया गया है। संरचनात्मक कठोरताओं को दूर करने के लिए व्यय सुधार दीर्घावधिक स्वरूप के होना आवश्यक है। उदाहरणार्थ, वर्ष 2010-11 में राजस्व प्राप्तियों के 29.6 प्रतिशत का विनियोजन ब्याज संदायों ने किया जो विगत राजकोषीय असमुचितता के भार का द्योतक है तथा इस में कमी अनेक वर्षों तक स्थायी राजकोषीय समेकन से ही लाई जा सकती है। एफ आर बी एम ए 2003 के राजकोषीय प्रबंधन का मूल सिद्धांत अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी (साम्यता) है। अतः एफ आर बी एम में यथा अधिदेशित, व्यय में वृद्धि की सीमाओं तथा विकास नीति की बृहत् समावेशी कार्यसूची आवश्यकताओं के मद्देनजर,

व्यय का पूर्विकता निर्धारण एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसको मान्य करते हुए, व्यापक रूप से व्यय श्रेणीकरण तथा प्रबंधन का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का संघटन किया गया था (बाक्स 3.1)।

3.26 यह स्मरणीय है कि वर्ष 2008-09 में मांग को पुनर्जीवित करने के लिए सुव्यवस्थित राजकोषीय प्रेरणा पैकेज में काफी अधिक व्यय वृद्धि सन्निहित थी जिसमें आयोजना व्यय को अग्र स्थान पर रखा जाना शामिल था। इस प्रकार वर्ष 2008-09 तथा वर्ष 2009-10 में आयोजना तथा आयोजना-भिन्न व्यय, दोनों में पर्याप्त वृद्धि हुई। हालांकि राजकोषीय सुदृढीकरण की बहाली वर्ष 2010-11 में हुई, उच्चतर कर तथा कर-भिन्न राजस्वों के कारण अतिरिक्त व्यय के निधियन की कुछ गुंजायश बनी; राजकोषीय घाटे को कम कर सकने का श्रेय अभिहित सकल घरेलू उत्पाद में उच्च वृद्धि को जाता है। तथापि, वर्तमान वर्ष में, उत्पाद अभिहित सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के बजट अनुमानों (बी ई) के समय परिकल्पित वृद्धि से मामूली सी ही अधिक होने की आशा के कारण ऐसी कोई गुंजायश उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, उच्चतर तेल कीमतों में बजटीय आर्थिक सहायता से उच्चतर व्यय अंतर्ग्रस्त है जिसके घाटा स्तरों के लिए अनुषंगी निहितार्थ होंगे।

### बाक्स 3.1 : सरकारी व्यय के दक्ष प्रबंधन संबंधी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

योजना आयोग ने डा सी रंगाराजन की अध्यक्षता में सरकारी व्यय के दक्ष प्रबंधन संबंधी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति (एच एल ई सी) का गठन किया। इसके विचारार्थ विषय ये थे:—

सरकारी क्षेत्रक योजना को अधिकल्प तथा परिदाय प्रणालियों में परिवर्तनों के साथ सरेखित कर इसके कार्यक्षेत्र को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित करना; आयोजना तथा आयोजना भिन्न सुभिन्नता को समाप्त करने के लिए कार्य योजना का सुझाव देना; राज्यों को संसाधन अंतरण के लिए एक व्यापक ढांचे का सुझाव देना; निधियों के प्रत्यक्ष अंतरण से प्रत्युत्पन्न जवाबदेहिता, सरोकारों की जांच करना; तथा अंत-प्रयोग आधार पर राजस्व तथा पूंजी व्यय श्रेणीकरण की जांच करना।

एच एल ई सी ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर 2011 में प्रस्तुत की तथा समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं:—

- आयोजना-आयोजना भिन्न अंतर को हटा कर तथा बजट व्यवस्था को उत्पादन एवं परिणामों के साथ संबद्ध कर के सरकारी व्यय प्रबंधन के दृष्टिकोण में मूलभूत अंतरण लाना।
- राज्यों में क्रियान्वित किए जा रहे केन्द्रीय कार्यक्रमों, उप कार्यक्रमों तथा योजनाओं के लिए एकसमान कूटों के साथ एक नवीन बहु-आयामी बजट तथा लेखाकरण श्रेणीकरण की शुरुआत करना। केन्द्रीय प्लॉन योजना अनुवीक्षण प्रणाली (सी पी एल एम एस) को विस्तारित किया जाना है तथा संसाधनों के प्रवाह तथा उनके उपयोग के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के लिए नागरिकों हेतु एक पोर्टल की स्थापना की जानी है।
- सभी नई योजनाओं के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना से सम्पूर्ण राजकोषीय मोड में रूपांतरण। अंतिम व्यय तथा अंतरण के बीच अंतर करने के लिए एक उपयुक्त लेखाकरण प्रविधि का परिकलन सी जी ए (महालेखा नियंत्रक) तथा सी ए जी (नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक) द्वारा किया जाना है।
- केन्द्र तथा राज्यों के प्लॉन के वार्षिक बजटीय संघटक का क्रमशः केन्द्र या राज्य के सरकारी बजट के साथ एक-दर-एक का संबंध होगा। सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने बजट में एक पृथक अनुबंध के रूप में एस पी एस ई (राज्य सरकारी क्षेत्रक उद्यम) के निवेश परिव्ययों संबंधी जानकारी शामिल करेंगे। ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं के भाग के रूप में शामिल किया जाएगा।
- सरकारी निजी भागीदारिता (पी पी पी) संबंधी परियोजना वार, मंत्रालय-वार तथा क्षेत्रवार सूचना संबंधी अद्यतन जानकारी केन्द्रीय तथा राज्य, दोनों बजटों में उपलब्ध करवाई जाए क्योंकि पी पी पी परियोजनाओं से संबंधित वार्षिकी भुगतान तथा वी जी एफ (व्यवहार्यता अंतर निधियन) की व्यवस्था बजटीय सहायता से की जानी है।
- एफ आर बी एम ए के अर्थ में बेहतर अवबोधन और अनुपालन के लिए राजस्व-पूँजी श्रेणीकरण को जारी रखना तथा आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों की सीमा तक राजस्व घाटे के समायोजन द्वारा "समायोजित राजस्व घाटे" की शुरुआत करना। पूँजी व्यय आस्तियों के सृजन से संबंधित होना चाहिए तथा स्वामित्व की कसौटी द्वारा निर्धारित होगा।

## ब्याज संदाय

3.27 सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में ब्याज संदाय वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में भी कम हुए हैं जब राजकोषीय प्रेरण पैकेजों के कारण घाटों तथा ऋण में वृद्धि हुई थी। वर्षानुवर्ष संवृद्धि के अर्थ में, ब्याज संदाय इस अवधि में तेजी से बढ़े हैं तथा अभिहित सकल घरेलू उत्पाद में उच्चतर वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद में उनके निम्नतर अंश के लिए उत्तरदायी है। उधार की वार्षिक औसत लागत 2010-11 (सं.अ.) को समाप्त पिछले चार वर्षों में 7.5-7.6 प्रतिशत पर स्थिर रही है। वर्ष 2011-12 में इसके कम हो कर 7.4 प्रतिशत होने की बजटीय व्यवस्था (सारणी 3.6 तथा चित्र 3.4) की गई है, वर्ष 2011-12 के बजट में, ब्याज संदाय 33.9 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों के लिए उत्तरदायी हैं; इस अनुपात को कम करने के लिए उधार को निम्नतर स्तर पर लाना अपेक्षित होगा।

## आर्थिक सहायता

3.28 आयोजना भिन्न राजस्व व्यय में प्रमुख मदों में से आर्थिक सहायता कमाधिक नीति चालित तथा सुधारों के वश्यवर्ती है। कुछ आर्थिक सहायताओं में बढ़ते रुझान को देखते हुए, हालिया बजटों में निर्धनों की हकदारिताओं से समझौता किए बिना व्यापक सुधारों पर सकेन्द्रण किया गया है। जहां तक खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता का संबंध है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल में निर्धनों तथा अन्य सुभेद्य वर्गों द्वारा अल्प खपत में सुधार हेतु अनुरोध किया गया है तथा प्रचालनीकृत होने पर आर्थिक सहायता के स्तरों में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। जहां तक ऊर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता का संबंध है, यूरिया को छोड़ कर एक पोषाहार-आधारित ऊर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता की व्यवस्था सुव्यवस्थित है। पेट्रोलियम उत्पादों संबंधी आर्थिक सहायता में भी कच्चे पेट्रोलियम की उच्च वैश्विक कीमतों के कारण हालिया वर्षों में वृद्धि हुई है। उच्च शीर्ष रेखा मुद्रास्फीति स्तरों के मद्देनजर, घरेलू बाजार में वैश्विक कीमतों का पास थ्रू सीमित था। प्रमुख आर्थिक सहायता में वर्ष 2010-11 में

### सारणी 3.6 : केंद्र सरकार की बकाया आंतरिक देयताओं पर ब्याज

	बकाया आंतरिक देयताएं	आंतरिक देयताओं पर ब्याज	उधारों की औसत लागत (प्रतिशत प्रतिवर्ष)
	(करोड़ ₹)		
2004-05	1603785	105176	7.2
2005-06	1752403	111476	7.0
2006-07	1967870	128299	7.3
2007-08	2247104	149801	7.6
2008-09*	2565991	170388	7.6
2009-10	2902148	192567	7.5
2010-11(सं.अ.)	3293369	219356	7.6
2011-12(ब.अ.)	3700359	244224	7.4

स्रोत : केन्द्रीय बजट दस्तावेज

\*घरेलू ऋण पुनर्खरीद योजना और विदेशी ऋण की पूर्व अदायगी के मद में प्रीमियम के लिए ₹563 करोड़ की राशि शामिल नहीं है।


टिप्पणी: 1. उधार की औसत लागत 'टी' वर्ष में ब्याज भुगतान की 'टी-1' वर्ष में बकाया देयताओं की प्रतिशतता है।

2. बकाया आंतरिक देयताओं में राज्यों को दिए गए एनएसएसएफ ऋण शामिल नहीं है जिन पर केन्द्र की कोई ब्याज देयता नहीं है।


3. पहले के अंकों में सूचित ब्याज अदायगी के आंकड़े भिन्न हो सकते हैं क्योंकि ये आंकड़े 1999-2000 अर्थात् एनएसएसएफ के गठन से सरकार द्वारा प्रदत्त एनएसएसएफ पर ब्याज अदायगियों को घटाकर हैं।

अत्यधिक वृद्धि हुई है तथा ये 1,31,212 करोड़ रुपए की थीं। हालांकि वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान में इनके 1,34,411 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, कच्चे तेल की कीमतों में अब तक हुई वृद्धि के मद्देनजर इस वर्ष इनके काफी उच्चतर होने की संभावना है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, प्रमुख आर्थिक सहायता वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में 2 प्रतिशत के चिन्ह को पार कर गई थी। बजट अनुमान 2011-12 में इन्हें सकल

चित्र 3.4 आंतरिक देयताओं पर ब्याज तथा उधार लेने की औसत लागत



**चित्र 3.5 स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में आर्थिक सहायता**



घरेलू उत्पाद के 1.5 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है (चित्र 3.5)। इस अध्याय में बाद में विस्तार से वर्णित बारहवीं योजना के संसाधन प्रक्षेपणों के लिए आयोजना भिन्न व्यय में दूरगामी सुधार अपेक्षित हैं तथा इस प्रयोजनार्थ पीडीएस (सार्वजनिक वितरण

प्रणाली) के लिए आई टी कार्यनीति तथा खाद्य एवं केरोसीन संबंधी आर्थिक सहायता के सीधे अंतरण के लिए एक क्रियान्वयन योग्य समाधान संबंधी कृत्तिक बल की रिपोर्ट की अनुशंसाएं महत्वपूर्ण हैं (बाक्स 3.2)।

**बाक्स 3.2 : पी डी एस के लिए आई टी कार्यनीति संबंधी कृत्तिक बल की रिपोर्ट तथा खाद्य एवं केरोसीन के लिए आर्थिक सहायता के सीधे अंतरण के लिए एक क्रियान्वयन योग्य समाधान संबंधी कृत्तिक बल**

“पी डी एस के लिए आई टी कार्यनीति संबंधी कृत्तिक बल की रिपोर्ट तथा खाद्य एवं केरोसीन के लिए आर्थिक सहायता के सीधे अंतरण के लिए एक क्रियान्वयन योग्य समाधान संबंधी कृत्तिक बल का गठन यू आई डी ए आई के अध्यक्ष नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा किया गया था। कृत्तिक बल पी डी एस सुधार के लिए एक आई टी कार्य नीति की अनुशंसा करने तथा आशयित लाभानुभोगियों को केरोसिन, एल पी जी तथा उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता के सीधे अंतरण के लिए समाधान सुझाने के लिए अधिदेशित किया गया था। कृत्तिक बल के विचारार्थ विषय ये थे-विद्यमान प्रणालियां, प्रक्रियाओं तथा प्रक्रिया विधियों में अपेक्षित परिवर्तनों को अभिज्ञात करना तथा उनके लिए सुझाव देना; आई टी ढांचों तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का सुझाव देना; पी डी एस के लिए आई टी कार्यनीति क्रियान्वित करने हेतु संस्थागत प्रक्रमों की अनुशंसा करना; तथा आधार (अद्वितीय पहचान संख्या), आधार समर्थित लेनदेनों तथा आधार प्रमाणन अवसंरचना का प्रयोग करते हुए आयातित लाभानुभोगियों को खाद्य एवं केरोसीन संबंधी आर्थिक सहायता के सीधे अंतरण के लिए एक क्रियान्वयन योग्य समाधान की जांच करना तथा उसके लिए सुझाव देना। कृत्तिक बल ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 2011 में प्रस्तुत की तथा मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं:-

- पी डी एस के कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए एक सशक्त, मजबूत आई टी अवसंरचना आधार स्थापित करना जो सभी पणधारकों के लिए एक प्रोत्साहन आधारित प्रणाली होगी।
- देश भर में पी डी एस का सर्वत्र कम्प्यूटरीकरण तथा एक सांकेतिक अज्ञेयवादी प्रौद्योगिकी समाधान की व्यवस्था जिसमें वास्तविक कूपन, स्मार्ट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक कूपन स्वीकार्य हो तथा जो प्रत्यक्ष नकद अंतरण को सुकर बनाए।
- राष्ट्रीय सूचना उपयोगिता (एन आई यू) के रूप में पी डी एस नेटवर्क (पी डी एस एन) पी डी एस के लिए आई टी अवसंरचना को क्रियान्वित तथा प्रचालित करने के लिए सभी राज्यों हेतु साझा साफ्टवेयर मंच होगा। प्रौद्योगिकी बैंक ऑफिस के रूप में पी डी एस एन रिसावों, वास्तविक समय धोखा विश्लेषकों, हकदारिता वहनीयता तथा पारदर्शी शिकायत निवारण चैनल पर ध्यान देने के लिए आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर सकेन्द्रण के साथ पी डी एस से जुड़े सभी आई टी प्रचालनों का प्रबंधन करेगा।
- आधार (यू आई एन) का प्रयोग पी डी एस में राशन कार्ड पंजीकरण को सरल बनाने, लाभानुभोगी आंकड़ाधार को अद्यतन करने के लिए किया जाएगा। राज्य सरकारें आधार संदाय ब्रिज एवं आधार समर्थित संदाय प्रणालियों का प्रयोग आधार समर्थित बैंक खातों को अनुमोदित वस्तुओं के लिए आर्थिक सहायता निधियों का सरणीकरण करने के लिए कर सकती है;
- अवस्थल, वस्तु सम्मिश्र, सुविधाजनक प्रभात्राओं के अर्थ में लाभानुभोगियों के लिए अधिकतम विकल्पों की तथा किस्तों की किसी भी संख्या की व्यवस्था तथा वस्तुएं क्रय करने या आर्थिक सहायता का प्रत्यक्ष अंतरण प्राप्त करने के विकल्प की व्यवस्था।
- पी डी एस को प्रचालनरत करने की संगठनात्मक संरचना में पी डी एस एन के शेरधारकों द्वारा नियुक्त शासी बोर्ड शामिल होगा जिसमें भारत सरकार तथा अन्य पणधारक शामिल होंगे। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी। पी डी एस एन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का चयन बोर्ड द्वारा मुक्त चयन प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा।
- लाभानुभोगी की सुस्थापित पहचान सुकर बनाने के लिए आधार समर्थित बैंक खाते ( ए ई बी ए ) के जरिए केरोसीन, एल पी जी तथा उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता के प्रत्यक्ष अंतरण के लिए एक केन्द्रीय आर्थिक सहायता प्रबंधन प्रणाली (सी एस एम एस) की स्थापना करना। सी एस एम एस आर्थिक सहायता के सभी स्वरूपों को समर्थित करेगा जैसे नकद-भिन्न अंतरण, सशर्त नकद अंतरण, प्रत्यक्ष नकद अंतरण इत्यादि। सी एस एम एस लाभानुभोगियों की आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रियाशील होगी, वर्धित पारदर्शिता, शिकायत निवारण तथा निधियों के वास्तविक समय अंतरण की व्यवस्था करेगी।
- एक ही वस्तु की दो कीमतों के कारण चोरी के लिए प्रोत्साहन कम करने के लिए लाभानुभोगी को प्रत्यक्ष सब्सिडी प्रतिपूर्ति के साथ उर्वरक कार्य व्यापार तथा बाजार कीमत पर बिक्री।

### अनुदानों की अनुपूरक मांगे

3.29 अनुदानों की अनुपूरक मांगे संसद के समक्ष रखी गई हैं, जिसमें उन सभी अतिरिक्त व्यय प्रस्तावों (उच्चतर मांगें अथवा नए प्रस्ताव अथवा पुनर्विनियोजन) को शामिल किया गया है, जिनकी परिकल्पना बजट का निरूपण करते समय नहीं की गई थी और इन्हें मौजूदा वर्ष में ही उपगत किया जाना है। मौजूदा राजकोषीय वर्ष में अब तक अनुदानों की दो अनुपूरक मांगे प्रस्तुत की गई हैं। पहले बैच, जिसमें 53 अनुदानें थी, को अगस्त, 2011 में संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसमें 34,724.50 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत किया गया। तथापि, समग्र निवल नकद व्यय 9,016.1 करोड़ रुपए की राशि का था और मंत्रालयों/विभागों की बचतों अथवा वर्धित प्राप्तियों और वसूलियों द्वारा सुमेलित सकल अतिरिक्त व्यय 25,708 करोड़ रुपए के समतुल्य था। अतिरिक्त व्यय की प्रमुख मदों की पूर्ति हेतु निवल नकद व्यय ग्रामीण विकास विभाग में बीपीएल सर्वेक्षण के लिए अतिरिक्त अपेक्षा हेतु 2,300 करोड़ रुपए, स्थानीय सांसद क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी) योजना के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय हेतु 2,370 करोड़ रुपए, और आर्थिक कार्य विभाग में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में निधियों के अंतरण हेतु 1,066 करोड़ रुपए था।

3.30 वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों के दूसरे बैच में 67 अनुदानें और 1 विनियोजन शामिल है। संसद ने दिसंबर, 2011 में 63,180.2 करोड़ रु. का सकल अतिरिक्त व्यय अनुमोदित किया। समग्र निवल नकद व्यय 56,848.5 करोड़ है और मंत्रालयों/विभागों की बचतों और वर्धित प्राप्तियों/वसूलियों द्वारा सुमेलित सकल अतिरिक्त व्यय 6,330.9 करोड़ रुपए पर बैठता है। इसके अलावा, नई सेवा अथवा सेवा की नई लिखत समाहित करने वाले मामलों में बचतों का पुनर्विनियोजन कर सकने के लिए, 90 लाख रुपए के सांकेतिक प्रावधान का अनुरोध किया गया है, जिसमें व्यय की प्रत्येक मद के लिए 1 लाख रुपए निर्धारित है। अतिरिक्त व्यय की मुख्य मदें हैं, उर्वरकों पर सब्सिडी हेतु 13,779 करोड़ रुपए, खाद्य सब्सिडी के लिए 2,297 करोड़ रुपए और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण तेल विपणन कंपनियों को हुई अनुमानित अल्प-वसूलियों के प्रति क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए।

### केन्द्रीय आयोजना परिव्यय

3.31 केन्द्रीय आयोजना परिव्यय को 2010-11 (सं०अ०) के लिए 5,02,250 करोड़ रुपए पर रखा गया था। इस योजना के लिए सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) कुल परिव्यय का 59.5 प्रतिशत थी। वर्ष 2010-11 (सं०अ०) की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बजट 2011-12 में केन्द्रीय आयोजना परिव्यय अब 5,92,457 करोड़ रुपए है। इस परिव्यय में 3,35,521 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों

के 2,56,936 करोड़ रुपए के आंतरिक बजट-बाह्य ससांधन (आईईबीआर) शामिल हैं। महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए व्यापक क्षेत्र-वार आबंटनों में ऊर्जा (26.2 प्रतिशत); सामाजिक सेवाएं (24.4 प्रतिशत); परिवहन (19.7 प्रतिशत); संचार (3.4 प्रतिशत); ग्रामीण विकास (9.3 प्रतिशत), उद्योग और खनिज (7.6 प्रतिशत); कृषि और सहबद्ध कार्यकलाप (2.5 प्रतिशत); और सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण (0.1 प्रतिशत) शामिल हैं। 2011-12 (ब०अ०) में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता को 1,06,026 करोड़ रुपए पर रखा गया है, जो 2010-11 (सं०अ०) की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। बारहवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में संघ०उ० के 5.2 प्रतिशत पर बारहवीं योजना अवधि के लिए सकल बजटीय सहायता के अनंतिम अनुमान तैयार किए गए हैं, जो 2012-13 में संघ०उ० के 4.9 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 5.8 प्रतिशत पर पहुंच जाएंगे (बाक्स 3.3)।

### सरकारी ऋण

3.32 उच्च वृहत आर्थिक परिणामों को बनाए रखने के लिए सरकारी ऋण के सतत् स्तरों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। वास्तव में, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन ढांचे के अंतर्गत राजकोषीय नियमों के अंतर्गत देश के लिए लोक ऋण के आमतौर पर एक सम्पोषणीय स्तर का मूल्यांकन सन्निहित है। एफआरबीएमए 2003 में अन्त्य वर्ष 2008-09 तक परिकल्पित राजकोषीय घाटों पर उच्चतम सीमाओं के अतिरिक्त एक वृद्धिकारी ऋण अनुमान नियम शामिल था। 2008-09 और 2009-10 में राजकोषीय विस्तार के चलते, लक्ष्यों को शिथिल करना पड़ा और एक नए एफआरबीएमए ढांचे की आवश्यकता हुई। राजकोषीय विस्तार के वर्षों में भी, सकल घरेलू उत्पाद के एक अनुपात के रूप में बकाया देयताओं में सीमान्तिक गिरावट देखी गई। ये 2007-08 में 56.9 प्रतिशत से गिरकर 2010-11 (सं०अ०) में 51.2 प्रतिशत रह गई और इनके 2011-12 में 48.8 प्रतिशत होने की बजटीय व्यवस्था की गई है (सारणी 3.7)। तेरहवें वित्त आयोग और सरकारी ऋण रिपोर्ट 2010 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के प्रति ब्याज दरों और सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दरों के बीच सकारात्मक और विस्तृत असमानताओं की अनुकूल गतिशीलता के कारण, सरकारी ऋण में कमी के अर्थ में अधिक निष्पादन रहा है।

### बजट का आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण

3.33 अनुदानों की मांगों की जांच और संसद में मतदान को सुकर बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार बजटों को अनिवार्यतः लेखाकरण वर्गीकरण के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। केन्द्रीय सरकारी बजट का आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण ऐसे

**बॉक्स 3.3 : बारहवीं पंच वर्षीय योजना (2012-17) में सरकारी क्षेत्र योजना का वित्तपोषण**

बारहवीं पंच वर्षीय योजना संबंधी दृष्टिकोण पत्र में केन्द्र के वित्तीय संसाधन संबंधी कार्यकारी समूह द्वारा यथा प्रस्तुत बारहवीं योजना हेतु केन्द्र के लिए संसाधन उपलब्धता का अंतिम निर्धारण निर्दिष्ट किया गया था। बारहवीं योजना दस्तावेज में शामिल करने के लिए संसाधन प्राप्ति को अंतिम रूप दिए जाने के समय इन अनुमानों में भी संशोधन किया जा सकता है।

**सकल बजटीय सहायता:** बारहवीं योजना के लिए सकल बजटीय सहायता में पांच वर्ष की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.83 प्रतिशत की वृद्धि होना अनुमानित है जो 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.92 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 तक सकल घरेलू उत्पाद का 5.75 प्रतिशत हो जाएगा (तत्कालीन उपलब्ध अभिहित सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों पर आधारित)। संघटनात्मक रूप से, बारहवीं योजना में निम्नलिखित के कारण सकल बजटीय सहायता में वृद्धि हुई है:-

- केन्द्र के निवल कर राजस्व में केवल 1.51 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है, जो 2011-12 (ब०अ०) में सकल घरेलू उत्पाद के 7.40 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में सकल घरेलू उत्पाद का 8.91 प्रतिशत हो जाएगा। कर-भिन्न राजस्वों के 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.40 प्रतिशत से गिरकर 2016-17 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.88 प्रतिशत होने की आशा है।
- सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां (मुख्यतया विनिवेश आय) के अंशदान के भी गिरने की संभावना है।
- राजकोषीय विस्तार के लिए कोई स्थान नहीं है और बारहवीं योजना के परवर्ती भाग में सरकार की मध्यावधि राजकोषीय समेकन नीतियों के अनुरूप राजकोषीय घाटे का 2010-11 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.7 प्रतिशत से कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 3.0 प्रतिशत होने की संभावना है।

सकल बजटीय सहायता को बढ़ाने की सीमित गुंजायश महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसंरचना, में आवंटन बढ़ाने में एक बाध्यकारी बाधा होगा। अतएव, क्षेत्रीय संवृद्धि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बारहवीं योजना में कठोर प्राथमिकता लागू करनी होगी।

**केन्द्र के लिए समग्र संसाधन:** केन्द्र के लिए समग्र संसाधन 2011-12 (ब०अ०) में सकल घरेलू उत्पाद के 14 प्रतिशत से गिरकर 2016-17 में सकल घरेलू उत्पाद के 13.11 प्रतिशत हो जाएंगे। मुख्यतया आयोजना भिन्न व्यय के 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद के 9.09 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में सकल घरेलू उत्पाद के 7.36 प्रतिशत होने की अनुमानित गिरावट के सकल बजटीय सहायता के आकार के बढ़ने की संभावना है। आयोजना-भिन्न व्यय में अनुमानित गिरावट सार्वजनिक क्षेत्र योजना के वित्तपोषण के लिए निर्णायक है।

**आयोजना-भिन्न व्यय:-** अभिहित अर्थों में, इसके लगभग 10.0 प्रतिशत की औसत वार्षिक संवृद्धि दर पर बढ़ने का अनुमान है। आयोजना-भिन्न व्यय मदों में, विगत में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सब्सिडियां तुलनात्मक रूप से उच्च रही हैं और इस योजना में संसाधन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सब्सिडियों को प्रभावी रूप से लक्षित करना महत्वपूर्ण होगा।

- ऋण की अनुमानित वृद्धि के आधार पर, एफआरबीएम लक्ष्यों के आनुरूप, वार्षिक वृद्धिकारी उधारों पर 8.7 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ ब्याज संदायों का पूर्वानुमान
- रक्षा व्यय का आधार वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के 1.83 प्रतिशत से गिरकर अंतिम वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद का 1.56 प्रतिशत हो जाएगा और अभिहित अर्थ में वेतन तथा भत्तों के 7.0 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि होगी तथा इसके अधिक बढ़ जाने की कोई संभावना नहीं है (सरकारी रोजगार अथवा वेतन आयोग संशोधनों में वृद्धि के कारण बढ़ोतरी होने की कोई संभावना नहीं है)।
- पेंशन व्यय में 9.0 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि होगी - यह 13वें वित्त आयोग द्वारा अनुमानित स्तर है।
- सब्सिडियों का वर्ष 2011-12 (ब०अ०) में स०घ०उ० के अनुमानित 1.6 प्रतिशत से गिरकर अंतिम वर्ष में स०घ०उ० के 1.24 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है।
- बारहवीं आयोजना अवधि के लिए संसाधनों के स्तर को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कर संसाधन जुटाना महत्वपूर्ण होगा, जो तभी संभव हो पाएगा जब निर्णायक कर-सुधार शुरू हो जाएंगे और अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाएंगे।

**बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए केन्द्र के संसाधन के अंतिम अनुमान\***

(स०घ०उ० के प्रतिशत के रूप में)

विवरण	2011-12 (ब०अ०)	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	XII आयोजना औसत
केन्द्र को कर राजस्व निवल	7.40	8.14	8.53	8.72	8.83	8.91	8.68
कर-भिन्न राजस्व	1.40	1.10	1.09	1.09	0.98	0.88	1.01
ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां	0.60	0.54	0.46	0.41	0.36	0.32	0.41
राजकोषीय घाटा	4.60	4.10	3.50	3.00	3.00	3.00	3.25
समग्र संसाधन (1+2+3+4)	14.00	13.88	13.59	13.21	13.18	13.11	13.34
आयोजना-भिन्न व्यय	9.09	8.96	8.63	8.23	7.83	7.36	8.09
आयोजना के लिए जीबीएस	4.92	4.92	4.95	4.98	5.35	5.75	5.25
राज्यों/संघ राज्य को केन्द्रीय सहायता क्षेत्रों	1.18	1.18	1.19	1.20	1.25	1.30	1.23
केन्द्रीय आयोजना	3.74	3.74	3.76	3.78	4.10	4.45	4.02
आईईबीआर	2.86	2.86	2.85	2.84	2.84	2.83	2.84
केन्द्र के लिए आयोजना संसाधन	6.60	6.59	6.61	6.63	6.94	7.28	6.86

\* स०घ०उ० अपस्फीतिकारक के अनुसार वास्तविक स०घ०उ० वृद्धि का 9.0 प्रतिशत और मुद्रास्फीति का 5.0 प्रतिशत

## सारणी 3.7 : केन्द्र सरकार की बकाया देयताएं

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (सं.अ.)	2011-12 (ब.अ.)
	(करोड़ ₹)					
1. आंतरिक देयताएं #	2435880	2725394	3036132	3383761	3774758	4181842
क) आंतरिक ऋण	1544975	1808359	2028549	2349148	2703844	3110618
i) बाजार उधार	972801	1092468	1326094	1746623	2082036	2425036
ii) अन्य	572174	715891	702455	602525	621808	685582
ख) अन्य आंतरिक देयताएं	890905	917035	1007583	1034613	1070914	1071224
2. विदेशी ऋण (बकाया) *	102716	112031	123046	134083	156347	170847
3. कुल बकाया देयताएं (1+2)	2538596	2837425	3159178	3517844	3931105	4352689
4. विभाजन पूर्व ऋण के भाग के आधार पर पाकिस्तान से देय राशि	300	300	300	300	300	300
5. निवल देयताएं (3-4)	2538296	2837125	3158878	3517544	3930805	4352389
	(सघड के प्रतिशत के रूप में)					
1. आंतरिक देयताएं	56.7	54.6	53.9	52.4	49.2	46.9
क) आंतरिक ऋण	36.0	36.3	36.0	36.4	35.2	34.9
i) बाजार उधार	22.7	21.9	23.6	27.0	27.1	27.2
ii) अन्य	13.3	14.4	12.5	9.3	8.1	7.7
ख) अन्य आंतरिक देयताएं	20.7	18.4	17.9	16.0	14.0	12.0
2. विदेशी ऋण (बकाया) *	2.4	2.2	2.2	2.1	2.0	1.9
3. कुल बकाया देयताएं ज्ञापन में	59.1	56.9	56.1	54.5	51.2	48.8
(क) विदेशी ऋण (करोड़ रु.)@	201204	210083	264076	249311	278885	304146.0
(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	4.7	4.2	4.7	3.9	3.6	3.4
(ख) कुल बकाया देयताएं (समायोजित) (करोड़ रु.)	2637084	2935477	3300208	3633072	4053643	4485988
(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	61.4	58.9	58.6	56.3	52.8	50.3
(ग) आंतरिक देयताएं (भारतीय रिजर्व बैंक-भिन्न)##	2217671	2471396	2687037	3054435	3435432	3827516
(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	51.6	49.6	47.7	47.3	44.8	42.9
(घ) बकाया देयताएं (भारतीय रिजर्व बैंक-भिन्न)## (करोड़ रु.)	2418875	2681479	2951113	3303746	3714317	4131662
बकाया देयताएं (भारतीय रिजर्व बैंक भिन्न) (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	56.3	53.8	52.4	51.2	48.4	46.4
(ङ) केन्द्र सरकार की आकस्मिक देयताएं (₹ करोड़ रुपए)	109826	104872	113335	137205	उ.न.	उ.न.
केन्द्र सरकार की आकस्मिक देयताएं (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	2.6	2.1	2.0	2.1	उ.न.	उ.न.
(च) कुल परिसंपत्तियां (करोड़ रुपए)	1339119	1571668	1569043	1607544	1796209	1980404
कुल परिसंपत्तियां (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	31.2	31.5	27.9	24.9	23.4	22.2

स्रोत : 1. केन्द्रीय बजट दस्तावेज, सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारतीय रिजर्व बैंक

उ.न. : उपलब्ध नहीं

\* विदेशी ऋण के आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा विदेशी स्रोतों से लिए गए उधारों के द्योतक हैं और पारंपरिक विनिमय दरों पर आधारित हैं।

@ वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर रूपांतरित। वर्ष 2006-07 के लिए मार्च 2007 के अंत में प्रचलित दरें; 2007-2008 के लिए मार्च अंत, 2007 के अंत में प्रचलित दरें मार्च 2008 के अंत में प्रचलित दरें और इत्यादि।

# आंतरिक ऋण में बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06 के लिए ₹ 29,062 करोड़, 2006-07 के लिए ₹ 62,974 करोड़ और 2007-08 के लिए ₹ 1,70,554 करोड़ 2008-09 के लिए ₹ 88,773 करोड़ और 2009-10 के लिए ₹ 2,737 करोड़, 2011-12 (ब.अ.) के लिए ₹ 20,000 करोड़ के निवल उधार शामिल हैं।

## इसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित विव्रेय दिनांकित प्रतिभूतियां शामिल हैं।

टिप्पणी : चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात सीएसओ की राष्ट्रीय लेखा 2004-05 श्रृंखला पर आधारित हैं।

**सारणी 3.8 : केन्द्र सरकार का कुल व्यय तथा पूंजी निर्माण तथा इसके वित्तपोषण**  
(केन्द्र सरकार बजट के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण के अनुसार)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
					(सं.अ.)	(ब.अ.)
	(करोड़ ₹)					
I. कुल व्यय	570185	688908	864530	992440	1179016	1233437
II. केन्द्र सरकार के बजटीय संसाधनों में से सकल पूंजी निर्माण	87885	143892	136935	184501	274823	287316
(i) केन्द्र सरकार द्वारा सकल पूंजी निर्माण	36487	43652	51464	58999	68447	82931
(ii) अर्थव्यवस्था के शेष भाग में पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	51398	100240	85471	125502	206376	204385
III. केन्द्र सरकार की सकल बचत	-33918	13674	-176082	-232452	-106154	-133287
IV. अन्तर (II-III)	121803	130218	313017	416953	380977	420603
जिसकी वित्त व्यवस्था इस प्रकार की गई						
क घरेलू अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर ड्राफ्ट	110801	118180	299208	402774	355957	403930
(i) घरेलू पूंजीगत प्राप्तियां	106284	145351	246612	404160	370957	383930
(ii) बजटीय घाटा/नकद शेष से निकासी	4517	-27171	52596	-1386	-15000	20000
ख विदेशी बचतों पर ड्राफ्ट	11002	12038	13809	14179	25020	16673
	(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)					
I. कुल व्यय	13.3	13.8	15.4	15.4	15.4	13.8
II. केन्द्र सरकार के बजटीय संसाधनों में से सकल पूंजी निर्माण	2.0	2.9	2.4	2.9	3.6	3.2
(i) केन्द्र सरकार द्वारा सकल पूंजी निर्माण	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
(ii) अर्थव्यवस्था के शेष भाग में पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	1.2	2.0	1.5	1.9	2.7	2.3
III. केन्द्र सरकार की सकल बचत	-0.8	0.3	-3.1	-3.6	-1.4	-1.5
IV. अन्तर (II-III)	2.8	2.6	5.6	6.5	5.0	4.7
जिसकी वित्त व्यवस्था इस प्रकार की गई						
क घरेलू अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर ड्राफ्ट	2.6	2.4	5.3	6.2	4.6	4.5
(i) घरेलू पूंजीगत प्राप्तियां	2.5	2.9	4.4	6.3	4.8	4.3
(ii) बजटीय घाटा/नकद शेष से निकासी	0.1	-0.5	0.9	0.0	-0.2	0.2
ख विदेशी बचतों पर ड्राफ्ट	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
	(पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि)					
II. केन्द्र सरकार के बजटीय संसाधनों में से सकल पूंजी निर्माण ज्ञापन मर्दे	3.7	63.7	-4.8	34.7	49.0	4.5
	(₹ करोड़)					
1. उपभोग व्यय	121609	131396	174345	210625	234395	248546
2. चालू अंतरण	356560	408676	543347	580898	652873	673712
	(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)					
1. उपभोग व्यय	2.8	2.6	3.1	3.3	3.1	2.8
2. चालू अंतरण	8.3	8.2	9.7	9.0	8.5	7.6

स्रोत : वित्त मंत्रालय, केन्द्र सरकार के बजट का आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण-विभिन्न अंक।

टिप्पणी : (i) इस सारणी में सकल पूंजी निर्माण में सकल आधार पर पूंजी निर्माण के लिए दिए गए ऋण शामिल हैं। परिणामस्वरूप घरेलू पूंजीगत प्राप्तियों में केन्द्र सरकार को की गई ऋणों की अदायगियां शामिल हैं।

(ii) उपभोग व्यय मजदूरी एवं वेतन पर तथा वर्तमान उपयोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाला व्यय है।

(iii) ब्याज अदायगियां, सब्सिडी, पेंशन आदि चालू अंतरण माने जाते हैं।

(iv) सकल पूंजी निर्माण और कुल व्यय में लघु बचत संग्रहणों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के हिस्से के प्रति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए ऋण शामिल नहीं हैं।

(v) आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण के अनुसार केन्द्र सरकार के कुल व्यय के आंकड़े वर्तमान खातों से मेल नहीं खाते। पूंजी खाते में रेलवे, डाक व दूरसंचार के अपनी निधियों से वित्त पोषित व्यय, आदि को शामिल किया गया है।

(vi) चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में अनुपात केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन की राष्ट्रीय लेखा 2004-05 श्रृंखला पर आधारित है।



राजकोषीय घाटा 92.3 प्रतिशत होने से केन्द्रीय वित्तसाधन स्पष्टतया कुछ दबावग्रस्त हैं। (सारणी 3.9)। पहले नौ महीनों में सकल कर राजस्व 17.3 प्रतिशत के ब०अ० लक्ष्य की तुलना में 12.2 प्रतिशत बढ़ा है। प्रमुख करों में निगम करों में ब०अ० 2011-12 तक परिकल्पित 20.2 प्रतिशत की तुलना में 6 प्रतिशत की वृद्धि और केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों में, ब०अ० 2011-12 तक परिकल्पित 18.2 प्रतिशत की तुलना में 8 प्रतिशत की वृद्धि प्रमुख चिंताएं हैं। सेवा कर में 30 प्रतिशत की सीमा शुल्क में 15 प्रतिशत और वैयक्तिक आय कर में 16 प्रतिशत की वृद्धि ब०अ० 2011-12 से अधिक या उसके समतुल्य रही है।

3.35 सम्पूर्ण वर्ष के लिए 4.9 प्रतिशत के ब०अ० संवृद्धि लक्ष्य की तुलना में, 2011-12 के पहले नौ महीनों में कुल व्यय में 13.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें आयोजना भिन्न व्यय में 15.4 प्रतिशत की वृद्धि और आयोजना व्यय में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। प्रारूपिकता से पिछले पांच वर्षों के रूझान के आधार पर कुल कर राजस्वों का 33.4 प्रतिशत चौथी तिमाही में उपार्जित होता है और कुल व्यय का 32.9 प्रतिशत हिस्सा चौथी तिमाही में उपगत किया जाता है। इस प्रकार, एक साधारण बहिर्वेशन राजस्व प्राप्तियों और व्यय, प्रत्येक में 3 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्शाता है। परिणामतः बजटीय राजस्व और राजकोषीय घाटों में अंतर होने की संभावना है। नौ महीनों के दौरान व्यय में तीव्र वृद्धि और राजस्व में समनुरूप वृद्धि से कम वृद्धि पहले नौ महीनों में घाटों के उच्च अनुपातों में परिणामी हुई हैं। (सारणी 3.10)।

## केन्द्र सरकार के विभागीय उद्यमों का निष्पादन

### रेलवे

3.36 भारतीय रेलवे सरकारी निजी भागीदारियों (पीपीपी), राज्य सरकारों और अन्य पण धारकों के साथ कीमत साझेदारी तथा बाजार उधारों के जरिए अपने संसाधनों को विवेकपूर्ण रूप से संवर्धित करने के उपाय कर रहा है। रेल अवसंरचना में निवेश को बढ़ाने के लिए, रेल बजट 2011-12 में इस वर्ष के दौरान कर-मुक्त बांडों के निर्गम के जरिए अतिरिक्त 10,000 करोड़ रूपए जुटाने की घोषणा की गई थी। राजकोषीय वर्ष 2010-11 के दौरान भारतीय रेल द्वारा की गई माल ढुलाई 2009-10 में 887.8 मिलियन टन की तुलना में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 921.7 मिलियन टन पर थी। 2009-10 के स्तरों की तुलना में 33.9 मिलियन टन की वर्धनात्मक ढुलाई के बावजूद, राजकोषीय वर्ष के दौरान रेल माल ढुलाई संशोधित लक्ष्य से 2.3 मिलियन टन कम रह गई। वर्ष 2011-12 के लिए माल ढुलाई यातायात का लक्ष्य 993 मिलियन टन पर निर्धारित किया गया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.8 प्रतिशत अधिक था। अप्रैल-नवम्बर, 2011 के दौरान, भारतीय रेल ने 618 मिलियन टन का राजस्व-अर्जक माल ढुलाई ट्रैफिक संवाहित किया। संवाहित किए गए माल में पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान वास्तव में संवाहित 593.4 मिलियन टन के माल ढुलाई यातायात की तुलना में 24.56 मिलियन टन की वृद्धि दिखाई देती है, जो 4.1 प्रतिशत की वृद्धि की द्योतक है। वर्ष 2010-11 के

**सारणी 3.10 : 2011-12 में केन्द्र सरकार के संचयी वित्त साधनों (अप्रैल-दिसम्बर) की प्रवृत्तियां**

	बजट अनुमान	अप्रैल	अप्रैल-मई	अप्रैल-जून	अप्रैल-जुलाई	अप्रैल-अगस्त	अप्रैल-सितम्बर	अप्रैल-अक्टूबर	अप्रैल-नवम्बर	अप्रैल-दिसम्बर
1. राजस्व प्राप्तियाँ	789892	6880	28716	90920	137155	188550	305528	359712	392813	498491
बजट अनुमान का प्रतिशत		0.9	3.6	11.5	17.4	23.9	38.7	45.5	49.7	63.1
2. पूँजीगत प्राप्तियाँ	467837	80250	137546	170297	238010	283667	293565	320662	367881	397870
बजट अनुमान का प्रतिशत		17.2	29.4	36.4	50.9	60.6	62.7	68.5	78.6	85.0
3. कुल प्राप्तियाँ	1257729	87130	166262	261217	375165	472217	599093	680374	760694	896361
बजट अनुमान का प्रतिशत		6.9	13.2	20.8	29.8	37.5	47.6	54.1	60.5	71.3
4. आयोजना-भिन्न व्यय	816182	70123	121390	177093	263497	340215	421270	479181	539416	619457
बजट अनुमान का प्रतिशत		8.6	14.9	21.7	32.3	41.7	51.6	58.7	66.1	75.9
5. आयोजना व्यय	441547	17007	44872	84124	111668	132002	177823	201193	221278	276904
बजट अनुमान का प्रतिशत		3.9	10.2	19.1	25.3	29.9	40.3	45.6	50.1	62.7
6. कुल व्यय	1257729	87130	166262	261217	375165	472217	599093	680374	760694	896361
बजट अनुमान का प्रतिशत		6.9	13.2	20.8	29.8	37.5	47.6	54.1	60.5	71.3
7. राजस्व व्यय	1097162	67495	138785	225541	332075	418550	527308	602724	673270	784595
बजट अनुमान का प्रतिशत		6.2	12.6	20.6	30.3	38.1	48.1	54.9	61.4	71.5
8. राजस्व घाटा	307270	60615	110069	134621	194920	230000	221780	243012	280457	286104
बजट अनुमान का प्रतिशत		19.7	35.8	43.8	63.4	74.9	72.2	79.1	91.3	93.1
9. राजकोषीय घाटा	412817	74661	130726	162653	228753	273523	280810	307009	353369	381012
बजट अनुमान का प्रतिशत		18.1	31.7	39.4	55.4	66.3	68.0	74.4	85.6	92.3

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय

दौरान 62,844.7 करोड़ रुपए के माल ढुलाई अर्जन संशोधित लक्ष्य से 355.4 करोड़ अधिक थे, जो 2009-10 की तुलना में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हैं। 2010-11 के दौरान यात्री अर्जन (अन्य कोचिंग अर्जनों को छोड़कर), 2009-10 में 23,488 करोड़ रुपए की तुलना में 25,792.6 करोड़ रुपए पर रहे, जो 9.8 प्रतिशत की वृद्धि के द्योतक है। 2010-11 के लिए समग्र यातायात राजस्व, 2009-10 की तुलना में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 94,525.5 करोड़ रुपए था। यातायात बकायों में 10.2 करोड़ के अतिरिक्त संचयन को शामिल करते हुए, 2010-11 के लिए रेलवे की सकल यातायात प्राप्तियां 94,535.6 करोड़ रहीं। 2011-12 के लिए सकल यातायात प्राप्तियों की 1,06,239 करोड़ रुपए होने की बजटीय व्यवस्था की गई थी।

3.37 1 अप्रैल, से 20 दिसम्बर, 2011 के दौरान, उद्भावक आधार पर भारतीय रेल के कुल लगभग अर्जन 71,613.1 करोड़ रुपए थे, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान अर्जित 64,982.4 करोड़ रुपए की तुलना में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। इस अवधि के दौरान, कुल माल अर्जन भी 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए 43,257.9 करोड़ रुपए से बढ़कर 47,653.3 करोड़ रुपए हो गए। कुल यात्री राजस्व अर्जन पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 18,501.6 करोड़ रुपए की तुलना में 9.5 प्रतिशत बढ़कर 20,249.8 करोड़ रुपए हो गए। 2010-11 के दौरान 68,139.22 करोड़ रुपए पर सामान्य कार्य चालन व्यय 2009-10 की तुलना में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि निर्दिष्ट करते हैं। मूल्यहास आरक्षित निधि और पेंशन निधि में विनियोजनों सहित कुल कार्यचालन व्यय 2009-10 की तुलना में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 89,474.22 करोड़ रुपए के हो गए। सामान्य कार्यचालन व्ययों के 2011-12 के लिए 73,650 करोड़ रुपए होने और कुल कार्यचालन व्ययों के 96,450 करोड़ रुपए (ब.अ.) होने की बजटीय व्यवस्था की गई है।

3.38 विविध प्राप्तियों और विविध व्ययों के निवल अंतर को शामिल करते हुए वर्ष 2010-11 में रेलवे का निवल राजस्व 6,346.14 करोड़ रुपए था। राजकोषीय वर्ष के लिए 4,941.25 करोड़ रुपए की लाभांश देयता का पूर्णतया निर्वहन करने के पश्चात 2010-11 के दौरान रेलवे ने लगभग 1,404.89 करोड़ रुपए का आधिक्य सृजित किया। 2011-12 के दौरान लाभांश देयता के 6,735 करोड़ रुपए होने की बजटीय व्यवस्था की थी।

3.39 बेहतर आर्थिक स्थिति के कारण यातायात राजस्वों में हुई संतुलित संवृद्धि रेलवे के प्रचालनात्मक अनुपात<sup>1</sup> के सुधार में प्रतिबिंबित होती है, जो 2009-10 में 95.3 प्रतिशत की तुलना में 2010-11 में 94.6 प्रतिशत रही। निर्माण कार्यों के लिए प्रभारित पूंजी और पूंजी निधि से निवेश के अनुपात के रूप में निवल राजस्व 2009-10 में 4.5 प्रतिशत की तुलना में 2010-11

में 3.8 प्रतिशत बैठता है। 2011-12 के लिए प्रचालनात्मक अनुपात का लक्ष्य ब.अ. चरण में 91.1 प्रतिशत रखा गया था।

3.40 2010-11 के लिए आयोजना परिव्यय 40,793 करोड़ रुपए था, जिसमें 11,527 करोड़ रुपए (अर्थात आयोजना परिव्यय का 28.3 प्रतिशत) के आंतरिक रूप से सृजित संसाधन और भारतीय रेल विकास निगम द्वारा 9,780 करोड़ रुपए (अर्थात आयोजना परिव्यय का 23.9 प्रतिशत) के बाजार उधार शामिल हैं, इनमें रेल विकास निगम लिमिटेड के लिए 100 करोड़ के उधार भी शामिल हैं। 2011-12 के वार्षिक आयोजना परिव्यय के 57,630 करोड़ रुपए होने की बजटीय व्यवस्था की गई है। पूर्व और पश्चिम समर्पित मालढुलाई गलियारों में निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिसे बारहवीं योजना के अंतिम वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह परियोजना 2:1 के ऋण-इक्विटी अनुपात के साथ पीपीपी, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय ऋण और बजटीय सहायता के सम्मिश्रण के जरिए चलाई जा रही है। रेलवे की आधुनिकीकरण योजनाओं को और अधिक प्रोत्साहन देने के प्रमुख प्रयास में, सितंबर 2011 में सैम पितोदा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया, जो देश की सामाजिक और कार्यनीतिक अपेक्षाओं का समाधान करने पर पर्याप्त सकेन्द्रण सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारतीय रेल आधुनिकीकरण के लिए तरीकों और साधनों संबंधी सिफारिश करेगा।

### डाक विभाग

3.41 2010-11 में डाक विभाग की सकल प्राप्तियां 6962.3 करोड़ ₹ पर रही। वर्ष 2010-11 के दौरान सकल और निवल कार्यचालन व्यय क्रमशः 13,793.7 करोड़ और 13,307.9 करोड़ रुपए था, जो 6,345.6 करोड़ रुपए के घाटे में परिणामी हुआ है। चालू वर्ष 2011-12 (ब.अ.) में, सकल प्राप्तियों के 7517.7 करोड़ रुपए होने की बजटीय व्यवस्था की गई है, जिसमें 5,309.6 करोड़ रुपए पर राजस्व घाटे के अनुमान के साथ सकल और निवल कार्यचालन व्ययों के क्रमशः 13,522.4 करोड़ रुपए और 12,827.3 करोड़ रुपए का अनुमान है। सरकार ने 1,877.2 करोड़ रुपए के कुल आयोजना परिव्यय की डाक विभाग की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना को अनुमोदित कर दिया है। इस परियोजना से सभी अकम्प्यूटरीकृत डाक घरों, डाक कार्यालयों, प्रशासनिक और अन्य कार्यालयों, के कम्प्यूटरीकरण, अपेक्षित आईटी अवसंरचना की स्थापना और अपेक्षित साफ्टवेयर अनुप्रयोगों का विकास किया जाना आशयित है। इस आईटी आधुनिकीकरण परियोजना की परिकल्पना सभी उपर्युक्त कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए की गई है और इसके वर्ष 2013 तक शुरू हो जाने की संभावना है।

<sup>1</sup> प्रचालनात्मक अनुपात सकल यातायात अर्जनों में कार्यचालन व्ययों की प्रतिशतता का द्योतक है।

## प्रसारण

3.42 प्रसार भारती, जो एक सरकारी सेवा प्रसारणकर्ता है, का अनंतिम व्यय वर्ष 2010-11 में 2,686 करोड़ रुपए था जिसमें अंतरिक्ष खंड संबंधी प्रभारों और स्पेक्ट्रम प्रभार तथा ब्याज एवं मूल्यहास लागतें शामिल नहीं हैं। 2010-11 में अर्जित किया गया कुल राजस्व ₹ 1,310.3 करोड़ (निवल) था। प्रसार भारती ने आक्रमक विपणन नीति अपनाकर और एकल खिड़की सुविधा के माध्यम से विभिन्न कंपनियों की विज्ञापन संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए सेवाएं प्रदान कर के राजस्व अर्जन बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। एफएम रेडियो क्षेत्र सकारात्मक वृद्धि पथ पर है। रेडियो विज्ञापनदाताओं के बीच तेजी से अपना स्थान बना रहा है और रेडियो पर अधिक विज्ञापन खर्च होने की संभावना है। बजट 2011-12 में प्रसार भारती के संसाधन अंतर को पूरा करने के लिए 1,944.1 करोड़ ₹ का प्रावधान किया गया है।

## राज्य-स्तरीय वित्त साधन

3.43 स.घ.उ. के अनुपात के रूप में, राज्य सरकारों की कुल प्राप्तियां 2008-09 और 2009-10 के वित्तीय विस्तार के वर्षों में भी कमोबेश स्थिर या उच्चतर थीं। 2010-11 में उच्चतर कर हस्तांतरणों और साथ ही राज्यों के स्व-राजस्वों में वृद्धि के चलते प्राप्तियों में वृद्धि हुई है। राज्यों के सवितरणों में भी ऐसा ही विशेषक देखा गया और 2011-12 के लिए ब.अ. राजस्व अधिशेष और स. घ.अ. के 2.2 प्रतिशत पर राजकोषीय घाटे में संतुलन दर्शाते हैं (सारणी 3.11)। तेरहवें वित्त आयोग की राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन रूपरेखा के अनुसार राज्यों को राजस्व घाटा कम करना है और अधिकतम 2014-15 तक अपने संबद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पादों (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत का राजस्व घाटा प्राप्त करना है। राज्यों का राजकोषीय घाटा 2006-07 से स.घ.उ. के 3 प्रतिशत से कम रहा है। 2011-12 में राजस्व प्राप्तियों में 12.4 प्रतिशत की वृद्धि की बजटीय व्यवस्था की गई है। वस्तु और सेवा कर तथा अन्य महत्वपूर्ण कर सुधारों के शुरू होने से, राज्य राजकोषीय लक्ष्यों की पूर्ति हेतु राजस्व का सृजन कर सकेंगे।

## राज्य स्तरीय सुधार

3.44 तेरहवें वित्त आयोग ने व्यष्टि रूप से राज्यों के लिए एक राजकोषीय समेकन मार्ग रूप रेखा का परिकल्पन किया है जिसमें उनसे अधिकतम 2014-15 तक राजस्व घाटा समाप्त करने तथा अपने संबंधित जीएसडीपी के 3 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा हासिल करने की अपेक्षा की गई है। इसने इस अवधि के दौरान प्रायः सकल घरेलू उत्पाद के 24.3 प्रतिशत का संयुक्त राज्य ऋण लक्ष्य भी अनुशासित किया है। राज्यों से यह अपेक्षित है कि वे प्रत्येक राज्य के लिए अनुशासित राजकोषीय समेकन मार्ग रूप रेखा समाहित करने के लिए अपने एफआरबीएमए को संशोधित या अधिनियमित करें। अभी तक चौबीस राज्यों से तेरहवें वित्त आयोग

द्वारा यथा निर्धारित के अनुसार अपने एफआरबीएम अधिनियमों में (जिनमें अध्यादेशों के जरिए 2 राज्य शामिल हैं) को संशोधित/अधिनियमित कर लेने की सूचना प्राप्त हुई है। शेष एक राज्य (गोवा) के संबंध में 2006 में अधिनियमित इसके एफआरबीएम अधिनियम में पहले ही राजकोषीय समेकन मार्ग रूपरेखा सन्निहित है जो अवार्ड अवधि (अर्थात् 2010-11 से 2012-13) के लिए एफ सी-XIII की अनुशासनों के समनुरूप है।

3.45 समेकित स्तर पर, राज्य वर्ष 2010-11 (सं.अ.) में 0.3 प्रतिशत (स.घ.उ. का) के घाटे की तुलना में वर्ष 2011-12 (ब. अ.) में अपने राजस्व खातों में स.घ.उ. के 0.2 प्रतिशत के अधिशेष का सृजन कर सकते थे। वर्ष 2011-12 (ब.अ.) में, राज्यों का समेकित राजकोषीय घाटा वर्ष 2010-11 (सं.अ.) में 2.7 प्रतिशत से घट कर स.घ.उ. का 2.2 प्रतिशत रह गया। राज्यों के ऋण तथा अन्य देयताएं भी वर्ष 2010-11 (सं.अ.) में 23.6 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011-12 (ब.अ.) में स.घ.उ. का 22.6 प्रतिशत रह गईं। प्रत्येक राज्य के लिए उधार सीमाएं वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रख कर भारत सरकार द्वारा नियत की जाती हैं। वर्ष 2011-12 के लिए उधार सीमाओं का नियतन राज्यों के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटा लक्ष्यों को ध्यान रख कर किया गया है।

## राज्य सरकारों का राजकोषीय कम्प्यूटरीकरण

3.46 मिशन मोड परियोजना "राज्य राजकोषों का कम्प्यूटरीकरण" के क्रियान्वयन हेतु योजना भारत सरकार द्वारा जून 2010 में राष्ट्रीय ई-अभिशासन योजना (एनईजीपी) के तहत सुव्यवस्थित की गई थी। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से यह अपेक्षित है कि वे 2010-11 से आरम्भ लगभग तीन वर्षों में अपनी परियोजनाएं पूर्ण कर लें। निधियां परिदेय परिणामों के प्रति निर्मुक्त की जाती हैं। यह योजना आधारभूत कम्प्यूटरीकरण में सहायता करने के अलावा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राजकोष कम्प्यूटरीकरण, उन्नयन, विस्तार तथा इंटरफेस आवश्यकताओं में विद्यमान कमियों को दूर करने में उन की सहायता करेगी। योजना में एक व्यापक क्षेत्र आधार पर नेटवर्क किए गए माहौल में उपयुक्त हार्डवेयर तथा अनुप्रयोग साफ्टवेयर प्रणालियों की संस्थापना करना एवं विभिन्न पणधारकों में आंकड़ा साझेदारी हेतु इंटरफेस निर्माण शामिल हैं।

3.47 यह आशा है कि राजकोष कम्प्यूटरीकरण की योजना से राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में बजट व्यवस्था प्रक्रिया अधिक दक्ष होगी, नकद प्रवाह प्रबंधन में सुधार होगा, खातों की वास्तविक समय सुमेलता का संवर्धन होगा, प्रबंधन सूचना प्रणालियां (एम आई एस) सुदृढ़ होंगी, लेखा तैयारी में यथार्थता एवं समयबद्धता में सुधार होगा, सार्वजनिक परिदाय प्रणालियों में पारदर्शिता तथा दक्षता आएगी, अभिशासन की बेहतर गुणता के साथ बेहतर वित्तीय प्रबंधन करने में सहायता मिलेगी। योजना की समग्र अनमानित लागत पहली अप्रैल

## सारणी 3.11 : राज्य सरकारों की प्राप्तियां और सवितरण\*

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (सं.अ.)	2011-12 (ब.अ.)
	(₹ करोड़)					
<b>I. कुल प्राप्तियां (क + ख)</b>	<b>673605</b>	<b>765735</b>	<b>891292</b>	<b>1007636</b>	<b>1214374</b>	<b>1394956</b>
<b>क. राजस्व प्राप्तियां (1 + 2)</b>	<b>530556</b>	<b>623748</b>	<b>694658</b>	<b>768136</b>	<b>970167</b>	<b>1109458</b>
1. कर प्राप्तियां	372841	437948	482983	528075	673659	784292
जिसमें राज्य का						
अपना कर राजस्व	252548	286546	321930	363062	458886	534719
2. कर-भिन्न प्राप्तियां	157714	185799	211675	240062	296509	325167
जिसमें						
ब्याज प्राप्तियां	11825	12637	16356	15309	17165	16987
<b>ख. पूंजी प्राप्तियां</b>	<b>143049</b>	<b>141987</b>	<b>196634</b>	<b>239500</b>	<b>244207</b>	<b>285498</b>
जिसमें						
ऋणों और अग्रिमों की वसूली	7579	7770	11072	8088	5598	4483
<b>II. कुल सवितरण (क + ख + ग)</b>	<b>657280</b>	<b>752324</b>	<b>882332</b>	<b>1015009</b>	<b>1239241</b>	<b>1378820</b>
(क) राजस्व	505699	580805	681985	799154	993083	1092879
(ख) पूंजी	137793	157258	184376	198366	228516	264573
(ग) ऋण और अग्रिम	13789	14261	15971	17489	17642	21368
<b>III. राजस्व घाटा</b>	<b>-24857</b>	<b>-42943</b>	<b>-12673</b>	<b>31018</b>	<b>22916</b>	<b>-16579</b>
<b>IV. सकल राजकोषीय घाटा</b>	<b>77508</b>	<b>75455</b>	<b>134589</b>	<b>188820</b>	<b>207857</b>	<b>199427</b>
	(स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)					
<b>I. कुल प्राप्तियां (क + ख)</b>	<b>15.7</b>	<b>15.4</b>	<b>15.8</b>	<b>15.6</b>	<b>15.8</b>	<b>15.7</b>
<b>क. राजस्व प्राप्तियां (1 + 2)</b>	<b>12.4</b>	<b>12.5</b>	<b>12.3</b>	<b>11.9</b>	<b>12.6</b>	<b>12.4</b>
1. कर प्राप्तियां जिसमें राज्य का	8.7	8.8	8.6	8.2	8.8	8.8
अपना कर राजस्व	5.9	5.7	5.7	5.6	6.0	6.0
2. कर-भिन्न प्राप्तियां	3.7	3.7	3.8	3.7	3.9	3.6
जिसमें						
ब्याज प्राप्तियां	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
<b>ख. पूंजी प्राप्तियां</b>	<b>3.3</b>	<b>2.8</b>	<b>3.5</b>	<b>3.7</b>	<b>3.2</b>	<b>3.2</b>
जिसमें						
ऋणों और अग्रिमों की वसूली	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
<b>II. कुल सवितरण (क + ख + ग)</b>	<b>15.3</b>	<b>15.1</b>	<b>15.7</b>	<b>15.7</b>	<b>16.1</b>	<b>15.5</b>
(क) राजस्व	11.8	11.6	12.1	12.4	12.9	12.3
(ख) पूंजी	3.2	3.2	3.3	3.1	3.6	3.0
(ग) ऋण और अग्रिम	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
<b>III. राजस्व घाटा</b>	<b>-0.6</b>	<b>-0.9</b>	<b>-0.2</b>	<b>0.5</b>	<b>0.3</b>	<b>-0.2</b>
<b>IV. सकल राजकोषीय घाटा</b>	<b>1.8</b>	<b>1.5</b>	<b>2.4</b>	<b>2.9</b>	<b>2.7</b>	<b>2.2</b>

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

\*: 2009-10 से आगे के आंकड़े अनंतिम हैं और वर्ष 2011-12 के लिए 28 राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित हैं।

ब.अ.: बजट अनुमान सं.अ. संशोधित अनुमान

टिप्पणी: (1) नकारात्मक (-) चिह्न घाटा संकेतकों में अधिशेष दर्शाता है।

(2) चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात सीएसओ की राष्ट्रीय लेखा 2004-05 श्रृंखला पर आधारित हैं।

(3) पूंजी प्राप्तियों में निवल आधार पर लोक लेखाएं शामिल हैं।

(4) पूंजी सवितरण लोक लेखाओं को छोड़कर हैं।

2011 को अस्तित्वाधीन में प्रति जिला एक करोड़ के हिसाब से 626 करोड़ रुपए है वित्तीय सहायता अनुज्ञेय संघटकों की व्यष्टि परियोजना लागत के 75 प्रतिशत (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 90 प्रतिशत) तक है जो प्रति जिला 75 लाख रुपए (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90 लाख रुपए प्रति जिला) तक सीमित है। निधियां उपयोग प्रमाणपत्रों की संतोषजनक प्राप्ति के अध्यधीन 40 प्रतिशत, 30 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत प्रत्येक की तीन किस्तों में निर्मुक्त की जाएंगी।

### समेकित सामान्य सरकार

3.48 समेकित सामान्य सरकार अंतर सरकारी लेन देनों के निवलीकरण की यथेष्ट प्रक्रिया के पश्चात संघ तथा संयुक्त राज्य वित्त साधनों का सकलन है। यह सकलन सामान्य सरकार के राजकोषीय प्रचालनों तथा इसके वृहद आर्थिक प्रभाव को स्पष्ट करता है। सामान्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे के कम हो कर वर्ष 2011-12 में स.घ.उ. का 6.9 प्रतिशत होने

की बजटीय व्यवस्था की गई है (सारणी 3.12)। राजकोषीय घाटा राजकोषीय विस्तार के कारण वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में बढ़कर स.घ.उ. का 4.3 प्रतिशत तथा 5.7 प्रतिशत हो गया था; वर्ष 2010-11 (सं.अ.) में यह कम हो कर 3.8 प्रतिशत पर पहुंच गया तथा वर्ष 2011-12 में इसके और कम हो कर 3.3 प्रतिशत होने की बजटीय व्यवस्था है। राजस्व प्राप्तियां 2009-10 से 2010-11 की अवधि की तुलना में मामूली सी वृद्धि प्रतिबिम्बित करती हैं। कर प्राप्तियां वर्ष 2006-07 से

लगभग 16 से 17 प्रतिशत के आसपास रही हैं। संतुलित स्तरों तथा कम दरों के माध्यम से कर संरचना का यौक्तिकीकरण, सभी प्रत्यक्ष कर कानूनों को एकीकृत करते हुए प्रत्यक्ष कर कूट (डी टी सी) का क्रियान्वयन, कराधार को व्यापक बनाने तथा बेहतर कर प्रशासन के जरिए अनुपालन लागतों में कमी के साथ आईटी को अपनाने से स्वैच्छिक अनुपालन के लिए एक समर्थकारी माहौल सृजित होगा तथा कर राजस्वों में उत्प्लावकता बढ़ेगी और राजकोषीय समेकन में सहायता मिलगी।

सारणी 3.12 : समेकित सामान्य सरकार की प्राप्तियां और संवितरण

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (सं.अ.)	2011-12 (ब.अ.)
	(₹ करोड)					
<b>I. कुल प्राप्तियां (क + ख)</b>	<b>1124252</b>	<b>1329654</b>	<b>1608494</b>	<b>1844923</b>	<b>2215502</b>	2408486
क. राजस्व प्राप्तियां (1 + 2)	877075	1061892	1116955	1210735	1604894	1728593
1. कर प्राप्तियां	724023	877496	926303	984611	1237344	1448749
2. कर-भिन्न प्राप्तियां जिसमें	153052	184396	190652	226124	367550	279844
ब्याज प्राप्तियां	21744	22584	25224	25911	26129	26340
ख. पूंजी प्राप्तियां जिसमें	247177	267762	491539	634188	610608	679893
(क) विनिवेश प्राप्तियां	2440	45750	832	25393	23447	42042
(ख) ऋणों और अग्रिमों की वसूली	-1773	4682	8939	11499	7077	11198
<b>II कुल संवितरण (क + ख + ग)</b>	<b>1108174</b>	<b>1316246</b>	<b>1599533</b>	<b>1852296</b>	<b>2240369</b>	<b>2392348</b>
(क) राजस्व	932441	1071518	1357819	1580750	1897653	2019284
(ख) पूंजी	157316	225803	218679	246245	295475	334579
(ग) ऋण और अग्रिम	18417	18925	23035	25301	47241	38485
<b>III. राजस्व घाटा</b>	<b>55366</b>	<b>9626</b>	<b>240864</b>	<b>370015</b>	<b>292759</b>	<b>290691</b>
<b>IV. सकल राजकोषीय घाटा</b>	<b>230432</b>	<b>203922</b>	<b>472807</b>	<b>604669</b>	<b>604951</b>	<b>610515</b>
	(स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)					
<b>I. कुल प्राप्तियां (क + ख)</b>	<b>26.2</b>	<b>26.7</b>	<b>28.6</b>	<b>28.6</b>	<b>28.9</b>	<b>27.0</b>
क. राजस्व प्राप्तियां (1 + 2)	20.4	21.3	19.8	18.7	20.9	19.4
1. कर प्राप्तियां	16.9	17.6	16.5	15.2	16.1	16.3
2. कर-भिन्न प्राप्तियां जिसमें	3.6	3.7	3.4	3.5	4.8	3.1
ब्याज प्राप्तियां	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
ख. पूंजी प्राप्तियां जिसमें	5.8	5.4	8.7	9.8	8.0	7.6
(क) विनिवेश आय	0.1	0.9	0.0	0.4	0.3	0.5
(ख) ऋणों और अग्रिमों की वसूली	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
<b>II कुल संवितरण (क + ख + ग)</b>	<b>25.8</b>	<b>26.4</b>	<b>28.4</b>	<b>28.7</b>	<b>29.2</b>	<b>26.8</b>
(क) राजस्व	21.7	21.5	24.1	24.5	24.7	22.7
(ख) पूंजी	3.7	4.5	3.9	3.8	3.9	3.8
(ग) ऋण और अग्रिम	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4
<b>III. राजस्व घाटा</b>	<b>1.3</b>	<b>0.2</b>	<b>4.3</b>	<b>5.7</b>	<b>3.8</b>	<b>3.3</b>
<b>IV. सकल राजकोषीय घाटा</b>	<b>5.4</b>	<b>4.1</b>	<b>8.4</b>	<b>9.4</b>	<b>7.9</b>	<b>6.9</b>

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

ब.अ. : बजट अनुमान

सं.अ. संशोधित अनुमान

टिप्पणी : चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात सीएसओ की राष्ट्रीय लेखा 2004-05 श्रृंखला पर आधारित हैं।

## दृष्टिकोण/संभावनाएं

3.49 वर्ष 2011-12 में राजकोषीय परिणाम के वृहद-आर्थिक परिवेश द्वारा प्रभावित होने की संभावना है जो उद्योग में तीव्र मंदी तथा बढ़ती लागतें निर्दिष्ट करता है जिनसे लाभ प्रभावित होते हैं। परिणामस्वरूप, एक ओर प्रमुख क्षेत्रों में राजस्व अनुमानित से कम गति पर बढ़े तथा दूसरी ओर उच्च वैश्विक वस्तु कीमतों, विशेषतया कच्चे पेट्रोलियम तथा उर्वरकों की कीमतों में स्थिरता से अतिरिक्त व्यय की आवश्यकताएं उत्पन्न हुईं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय बाजार दशाएं निर्धारित विनिवेश योजना को आगे क्रियान्वित करने के लिए समुचित नहीं थी। इस प्रकार, घाटा संकेतकों के लक्ष्यों में कमी होना संभावित है यद्यपि उन्हें न्यूनतम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह अनिवार्यतः एक अपवादात्मक वर्ष है जब कारकों का एक पूर्ण समूह बजट प्रस्तुतीकरण के समय यथा परिकल्पित से भिन्नतः उभरा है। एक विशाल राजकोषीय सुधार के पश्चात संभावित कमी (क्रमशः विगत तथा वर्तमान राजकोषीय वर्ष में) कुछ कुछ चक्रीय राजकोषीय समायोजन के स्वरूप का है; किन्तु भविष्य में व्यय में संरचनात्मक सुधारों संबंधी राजकोषीय समेकन को समर्थित करने की आवश्यकता है।

3.50 हालांकि वर्तमान वर्ष में कुछ कमी हो सकती है, राजकोषीय समेकन की मध्यमावधि स्थिति को सुधारा जा सकता है, यद्यपि समय सीमाएं पुनः निर्धारित करनी पड़ेंगी। तैयार किया जा रहे नए एफआरबीएम ढांचे द्वारा वर्तमान राजकोषीय वर्ष में घटनाक्रमों का लाभ उठाने की तथा मध्यमावधि के लिए सही राजकोषीय समेकन मार्ग निर्दिष्ट करने की संभावना है। यहां महत्वपूर्ण यह है कि ये नीतियां उन अनिश्चितताओं की पूर्ति करने के लिए सुव्यवस्थित होनी चाहिए जो वर्ष के दौरान प्रत्युत्पन्न हो सकती हैं, ऐसा विशेष रूप से वैश्विक तेल कीमतों जैसे जोखिमों संबंधी संव्यवहार करने में किया जाना आवश्यक है जिन्होंने एक सर्वांगी स्वरूप अधिगृहीत कर लिया है। मध्य वर्षीय विश्लेषण ने स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया था कि समेकित सरकार के वित्त साधन वृहद आर्थिक परिणाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। यहां यह तथ्य कि राज्यों (संयुक्त) ने राजकोषीय विस्तार के वर्षों में भी दोनों घाटा संकेतकों के अर्थ में अत्यधिक अच्छा निष्पादन किया है, तीव्र राजकोषीय समेकन के लिए शुभ सिद्ध होता है।